

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 जनवरी 2017—पौष 23, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्बन्धन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं।
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रब्रह्म समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2016

क्र. ई-5-570-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को दिनांक 15 से 20 दिसम्बर 2016 तक, छ: दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री अजीत केसरी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार डॉ. राजेश राजौरा, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत केसरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अजीत केसरी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. राजेश राजौरा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अजीत केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत केसरी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-683-आयएएस-लीब-एक-5.—(1) डॉ. मनोज गोविल, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम को दिनांक 2 से 7 जनवरी 2017 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 एवं 8 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) डॉ. मनोज गोविल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री पंकज अग्रवाल, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. मनोज गोविल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. मनोज गोविल द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पंकज अग्रवाल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में डॉ. मनोज गोविल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मनोज गोविल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-896-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री राजेन्द्र सिंह, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2016 एवं 1 जनवरी 2017 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-911-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती अनुग्रह पी., आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अलीराजपुर को पूर्व स्वीकृत चाईल्ड केयर लीब के अनुक्रम में दिनांक 11 से 23 नवम्बर 2016 तक तेरह दिन का स्वीकृत चाईल्ड केयर लीब कार्योत्तर किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती अनुग्रह पी. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुग्रह पी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

क्र. ई-1-407-2016-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

- | | |
|-----|--|
| (1) | (2) |
| 1 | श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी (1993), आयुक्त-सह-संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग। |
| 2 | श्री लोकेश कुमार जाटव (2004), कलेक्टर, रायसेन। |
| 3 | श्रीमती भावना वालिम्बे (2008), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग एवं पर्यटन विभाग। |

नवीन पदस्थापना

खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया

(3)

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।

(4)

संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।

कलेक्टर, रायसेन

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।

क्र. ई-1-410-2016-5-एक.—श्री प्रभांशु कमल, भाप्रसे (1985), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री प्रभांशु कमल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली के अन्तर्गत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में वेतन नियमों की अनुसूची में सम्मिलित अध्यक्ष, राजस्व मण्डल के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

(3) श्रीमती गौर सिंह, भाप्रसे (1987), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा भोपाल गैस ट्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(4) श्री मनीष रस्तोगी, भाप्रसे (1994), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा संचालक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-634-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. मनोहर अगनानी, आयएएस., आयुक्त सागर संभाग, सागर को दिनांक 29 दिसम्बर 2016 से 4 जनवरी 2017 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) डॉ. मनोहर अगनानी की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री विकास नरवाल, आयएएस., कलेक्टर जिला सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. मनोहर अगनानी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन आयुक्त, सागर संभाग, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. मनोहर अगनानी द्वारा आयुक्त, आयुक्त, सागर संभाग, सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विकास नरवाल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में डॉ. मनोहर अगनानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मनोहर अगनानी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-683-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल, भाप्रसे, आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को दिनांक 2 से 7 जनवरी 2017 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 एवं 8 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री व्ही. किरण गोपाल, भाप्रसे, मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती पल्लवी जैन गोविल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती पल्लवी जैन गोविल द्वारा आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. किरण गोपाल उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती पल्लवी जैन गोविल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पल्लवी जैन गोविल अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करते रहती है।

क्र. ई-5-992-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रवि डफरिया, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2016 एवं 1 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रवि डफरिया को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री रवि डफरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि डफरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-1007-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) डॉ. श्रीकांत पाण्डेय, आयएएस., को दिनांक 19 से 24 दिसम्बर 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18 एवं 25 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में डॉ. श्रीकांत पाण्डेय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. श्रीकांत पाण्डेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2016

क्र. ई-1-329-2016-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये पदस्थान के लिए प्रतीक्षारत भाप्रसे, अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री संजय गुप्ता (2007)	अपर कलेक्टर, जबलपुर	मु.का.अ., जिला पंचायत
2	डॉ. मंजू शर्मा (2007)	अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास	मु.का.अ., जिला पंचायत
3	डॉ. श्रीकांत पाण्डेय (2007)	अपर कलेक्टर, रीवा	मु.का.अ., जिला पंचायत
4	श्री शमीम उद्दीन (2008)	अपर कलेक्टर, इंदौर	मु.का.अ., जिला पंचायत

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2016

क्र. ई.-5-536-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) डॉ. एम. मोहनराव, आयएएस., संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान को दिनांक 26 दिसम्बर 2016 से दिनांक 3 जनवरी 2017 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) डॉ. एम. मोहनराव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अशोक शाह, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. एम. मोहनराव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. एम. मोहनराव द्वारा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक शाह उक्त प्रभार से मुक्त होगे।

(5) अवकाशकाल में डॉ. एम. मोहनराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. एम. मोहनराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-560-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री मोहम्मद सुलेमान, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2016 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री मोहम्मद सुलेमान की अवकाश अवधि में उनके कार्य का प्रभार श्री व्ही. एल. कांताराव, प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, विकास सह आयुक्त, उद्योग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मोहम्मद सुलेमान द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. एल. कांताराव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-772-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री पी. नरहरि, आयएएस., कलेक्टर, जिला इन्डौर को दिनांक 28 दिसंबर 2016 से दिनांक 2 जनवरी 2017 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री पी. नरहरि की अवकाश अवधि में श्री अजयदेव शर्मा, भाप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला इन्डौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला इन्डौर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पी. नरहरि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन कलेक्टर, जिला इन्डौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री पी. नरहरि द्वारा कलेक्टर, जिला इन्डौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजयदेव शर्मा कलेक्टर, जिला इन्डौर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री पी. नरहरि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. नरहरि, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-851-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री एम. बी. ओझा, आयएएस., संचालक, उच्च शिक्षा तथा पदेन अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, उच्च शिक्षा विभाग तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन संचालक, उच्च शिक्षा तथा पदेन अपर सचिव, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, उच्च शिक्षा तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन का प्रभार सौंपा जाता है।

(2) श्री एम. बी. ओझा की अवकाश अवधि में श्री सचिन सिन्हा, भाप्रसे, सचिव, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, उच्च शिक्षा तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. बी. ओझा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन संचालक, उच्च शिक्षा तथा पदेन अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एम. बी. ओझा द्वारा संचालक, उच्च शिक्षा तथा पदेन अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सचिन सिन्हा सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एम. बी. ओझा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. बी. ओझा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-997-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री सभाजीत यादव, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को दिनांक 22 से 28 दिसंबर 2016 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सभाजीत यादव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सभाजीत यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सभाजीत यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2016

क्र. ई-1-306-2015-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्तत करते हुए उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्तत पर पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री विनोद चन्द्र सेमवाल (1985), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ज़ेल विभाग.	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ज़ेल विभाग.	अध्यक्ष राजस्व मंडल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2016

क्र. 4948-4781-2016-2-एक.—श्रीमती सपना त्रिपाठी, राप्रसे (आर. आर. 12) डिप्टी कलेक्टर, सतना द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया कि उनकी नियुक्ति के समय उनका गृह जिला सागर सेवा अभिलेख में अंकित है। श्रीमती सपना त्रिपाठी का विवाह दिनांक 29 नवम्बर 2012 को सीधी जिले के स्थायी निवासी श्री उमेश कुमार त्रिपाठी, वाणिज्यिक कर अधिकारी के साथ संपन्न हुआ। अतः उनके द्वारा विवाह के आधार पर गृह जिला सागर के स्थान पर सीधी करने का अनुरोध किया गया है।

(2) राज्य शासन परीक्षणोपरान्त एतद्वारा श्रीमती सपना त्रिपाठी, राप्रसे (आर. आर. 12) डिप्टी कलेक्टर, सतना के अनुरोध को स्वीकृत करते हुए वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 17 नवम्बर 1972 के परिप्रेक्ष्य में उनका गृह जिला सागर के स्थान पर गृह जिला सीधी परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

(3) उपरोक्तानुसार गृह जिला परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्रीमती सपना त्रिपाठी, राप्रसे (आर. आर. 12), डिप्टी कलेक्टर, सतना के सेवा अभिलेखों एवं पदक्रम सूची में की जावे।

क्र. 4950-5236-2016-2-एक.—राज्य शासन द्वारा श्री भूपेन्द्र सिंह परस्ते, राप्रसे (आर.आर. 2013) परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर एवं संचालक सी.एम.हेल्प लाईन, भोपाल को उनके द्वारा नायब तहसीलदार के पद पर रहते हुए, विभागीय परीक्षा के निम्नानुसार

प्रश्न पत्र उच्च स्तर से उत्तीर्ण किये जाने के फलस्वरूप राज्य प्रशासनिक सेवा (डिप्टी कलेक्टर) में नियुक्त होने के उपरान्त उक्त प्रश्न पत्रों को उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान करता है:—

1. दांडिक, विधि तथा प्रक्रिया I, II & III
2. सिविल, विधि तथा प्रक्रिया
3. लेखा प्रथम एवं द्वितीय
4. प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया I, II & III
5. पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया
6. सर्वे परीक्षा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव “कार्मिक”.

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2016

क्र. एफ 3-2-2016-एक-4.—राज्य शासन, एतद्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2016 (उत्तरार्द्ध) हेतु जिला हरदा, अनूपपुर एवं धार में मतदान दिनांक 4 जनवरी 2017 बुधवार को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिये सामान्य अवकाश तथा परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्याम बाई धुर्वे, अवर सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2016

क्र. एफ-1(ए)68-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री रवि शंकर डेहरिया, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (शिकायत), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2014-15 के विस्तार वर्ष 2016 में दिनांक 19 से 28 दिसम्बर 2016 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में गृह नगर की यात्रा के बदले भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा के तहत गोहावटी (असम) की यात्रा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ करने की स्वीकृति प्रदान करता है:

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. श्री रवि शंकर डेहरिया | स्वयं |
| 2. श्रीमती बबीता | पत्नी |

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री रवि शंकर डेहरिया, भापुसे का चालू कार्य श्री अनिल कुमार शुक्ल, रापुसे, उप पुलिस अधीक्षक (शिकायत), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रवि शंकर डेहरिया, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (अअवि प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री रवि शंकर डेहरिया, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कंडिका (2) में निर्देशित अधिकारी स्वत-अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री रवि शंकर डेहरिया, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवि शंकर डेहरिया, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)31-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा सुश्री सिमाला प्रसाद, भा.पु.से. सेनानी 26वीं वाहिनी, विस्कल गुना का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उन्हें दिनांक 17 नवम्बर से 20 दिसम्बर 2016 तक, चौंतीस दिवस लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से अड्सठ दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री सिमाला प्रसाद, भा.पु.से. सेनानी 26वीं वाहिनी, विस्कल गुना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

क्र. एफ-1(ए)107-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भा.पु.से., पुलिस उप महानिरीक्षक, आरएपीटीसी, इन्दौर को दिनांक 19 दिसम्बर 2016 से 7 जनवरी 2017 तक, कुल बीस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 18 दिसम्बर 2016 एवं 8 जनवरी 2017 के विज्ञप्ति अवकाश के लाभ सहित स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भा.पु.से. के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री ए.पी.सिंह, भा.पु.से. सेनानी, आरएपीटीसी, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस उपमहानिरीक्षक, आरएपीटीसी, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भा.पु.से., द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में निर्देशित अधिकारी स्वेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए)399-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री सी.क्वी.मुनिराजू भा.पु.से. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एन्टी नक्सलाईट ऑपरेशन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उन्हें दिनांक 1 से 20 नवम्बर 2016 तक, बीस दिवस लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 40 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सी.क्वी.मुनिराजू भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2016

क्र. एफ-1(ए)94-1999-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री उमेश जोगा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, चंबल जोन मुरैना को दिनांक 6 से 13 जनवरी 2017 तक के अर्जित अवकाश दिनांक 14 एवं 15 जनवरी 2017 के विज्ञप्ति अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री उमेश जोगा, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री अनिल कुमार, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर जोन ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अंवकाश से लौटने पर श्री उमेश जोगा, भाषुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक, चंबल जोन मुरैना के पद पर पुनः पदस्थि किया जाता है।

(4) श्री उमेश जोगा, भाषुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में निर्देशित अधिकारी स्वयं अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री उमेश जोगा, भाषुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमेश जोगा, भाषुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीदास, अवर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2016

क्र. एफ 3-100-2010-बत्तीस.—राज्य शासन, एतद्वारा, रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) अधिनियम, 2016 की धारा 22 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण का सदस्य की नियुक्ति संबंधी विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 21 दिसम्बर 2016 में उल्लेखित श्री दिनेश कुमार नाइक के नाम के स्थान पर श्री दिनेश कुमार नायक सदस्य सचिव मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर पढ़ा जावे। अतः समसंख्यक आदेश 21 दिसम्बर 2016 की कंडिका-2 एवं 3 की शर्तें यथावत् रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश

मुरैना, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 (1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत]]

प्र. क्र. 5-अ-82-भू-अर्जन-रक्षा-रायपुर-2016-6353.—जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ ग्राम-रायपुर, प.ह. क्र. 22, रा.नि. वृत्त-03, मामचौन, तहसील कैलारस उपखंड, जिला मुरैना में कुल 0.315 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात्

इसलिये घोषणा की जाती है कि उपयुक्त परियोजना के लिये अर्जन के लिये निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम रायपुर, प.ह.नं 22, रा.नि. वृत्त-03, मामचौन, तहसील कैलारस उपखंड जिला मुरैना में है, जिसका विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है:—

अनुसूची

क्र. सं.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व भूमि का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	72	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	2.080 में से 0.150	राजेन्द्र, चन्द्रपाल, रामकुमार, पुत्रगण रामसिंह निवासी ग्राम, राजस्व अभिलेख अनुसार।

2	38	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.190 में से 0.060
---	----	------------	-----------	--------------------

सिंधिया ना. बा. पिता मांगीलाल मु. कला बेवा मांगीलाल वगैरहा निवासी ग्राम, राजस्व अभिलेख अनुसार।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	39	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.490 में से 0.060	सुरेन्द्र सिंह पुत्र सीताराम सिंह वगेरह निवासी ग्राम राजस्व अभिलेख अनुसार.
4	40	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.310 में से 0.045	रामभजन, सेवाराम, वेदप्रकाष, रामलखन वगेरहा पुत्राण बूटीराम निवासी ग्राम राजस्व अभिलेख अनुसार.
			कुल 4	0.315 हेक्टेयर	

यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्पर्क जांच के पश्चात् की गयी है।

नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निमंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिह्नित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों, में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष : धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिए भू-अर्जन की अत्यावशकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 5-अ-82-भू-अर्जन-रक्षा-नोरावली-2016-6354

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ ग्राम-नोरावली सेमई प.ह. क्र. 62, रा.नि. वृत्त-05, रामपुरकला, तहसील कैलारस उपखंड जिला मुरैना में कुल 0.460 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात्—

इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिये अर्जन के लिये निमानुसार भूमि जो कि ग्राम-नोरावली सेमई प.ह.क्र. 62 रा.नि. वृत्त-05, रामपुरकला, तहसील कैलारस उपखंड जिला मुरैना में है, जिसका विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है:—

अनुसूची

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.170	रामेत पुत्र करनसिंह निवासी ग्राम राजस्व अभिलेख अनुसार
2	5	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.170	देवीलाल पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम राजस्व अभिलेख अनुसार
3	6	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.120	चिरोंजी पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम राजस्व अभिलेख अनुसार
			कुल 3	0.460 हेक्टेयर	

यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गयी है।

नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निम्न है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिह्नित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनियों की खाने हैं; खनिज और खनियों के ऐसे भागों, में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष : धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिए भू-अर्जन की अत्यावशकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 5-अ-82-भू-अर्जन-रक्षा-धरसोला-2016-6355

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ ग्राम-धरसोला प.ह.क्र. 60 रा.नि. वृत्त-05, रामपुरकला, तहसील व उपखंड सबलगढ़ जिला मुरैना में कुल 3.050 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात्—

इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिये अर्जन के लिये निमानुसार भूमि जो कि ग्राम-धरसोला प.ह.क्र. 60 रा.नि. वृत्त-05, रामपुरकला, तहसील व उपखंड सबलगढ़ जिला मुरैना में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:—

अनुसूची

क्र. सं.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	178	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.050	हरिप्रसाद आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
2	227	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.190 में से 0.150	महीपति आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
3	249	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.300 में से 0.100	दुर्ग सिंग आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
4	233	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.380 में से 0.210	महीपति आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
5	243	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.380 में से 0.300	महीपति आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
6	242	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.380 में से 0.300	महीपति आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
7	246	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.400 में से 0.240	अनेगा बेवा मूला आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).
8	406	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.390 में से 0.210	दुर्ग सिंग आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
9	410	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.470 में से 0.120	अनेगा बेवा मूला आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).
10	414	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.190 में से 0.060	सुभद्रा बेवा मंटोला निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).
11	412	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.180	महीपति आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
12	482	सेवा खाता	कृषि भूमि	1.110 में से 0.300	सेवा खाता कोटवार ग्राम धरसोला पता निवासी ग्राम सेवा खातेदार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	471	सेवा खाता	कृषि भूमि	0.450 में से 0.210	सेवा खाता कोटवार ग्राम धरसौला पता निवासी ग्राम सेवा खातेदार.
14	472	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.630 में से 0.090	रम्बो बेबा जुगनू आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).
15	475	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.270 में से 0.150	मंगी आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
16	476	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.330 में से 0.150	रामस्वरूप आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
17	479	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.120 में से 0.060	रामस्वरूप आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
18	480	सेवा खाता	कृषि भूमि	0.110	सेवा खाता कोटवार ग्राम धरसौला पता निवासी ग्राम सेवा खातेदार.
19	477	सेवा खाता	कृषि भूमि	0.060	सेवा खाता कोटवार ग्राम धरसौला पता निवासी ग्राम सेवा खातेदार.
कुल 19			<u>3.050 हेक्टेयर</u>		

यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक् जांच के पश्चात् की गयी है।

नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिह्नित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों, में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष : धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिए भूमि अर्जन अत्यावशकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 5-अ-82-भू-अर्जन-रक्षा-पासौन कला-2016-6356

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ ग्राम-पासौन कला प.ह.क्र. 51 रा.नि. वृत्त-04, सबलगढ़ तहसील व उपखण्ड सबलगढ़ जिला मुरैना में कुल 4.155 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात्—

इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिये अर्जन के लिये निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम-पासौन कला प.ह.क्र. 51 रा.नि. वृत्त-04, सबलगढ़ तहसील व उपखण्ड सबलगढ़ जिला मुरैना में है, जिसका विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित है:—

अनुसूची

क्र. सं.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	681	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.520 में से 0.270	शारदा निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
2	406	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.280	बिन्द्रावन निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	415	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.870 में से 0.300	लखपति आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
4	413	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.200 में से 0.150	राजेन्द्र निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
5	414	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.200 में से 0.150	बसुदेव आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
6	412	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.080	महाराज सिंह आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).
7	423	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.420 में से 0.150	बीरबल आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
8	424	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.740 में से 0.210	श्रीलाल आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
9	411	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.270 में से 0.090	मुरारी पुत्र रत्नलाल, रामबाई, द्रोपती पुत्री रत्नलाल आदि राजस्व अभिलेख अनुसार).
10	410	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.270 में से 0.090	रत्नलाल निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
11	409	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.090 में से 0.075	ब्रदी, लालपति आदि (राजस्व अभिलेख अनुसार)
12	282	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.140 में से 0.750	रामस्वरूप निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
13	288	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.840 में से 0.210	काशीराम निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
14	268	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.740 में से 0.360	रामप्रकाश निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार)
15	267	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.090 में से 0.300	हेमलता बेवा रामचंद्र आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).
16	263	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.500 में से 0.090	भोरुलाल, सामन्त पिता चुनी लाल निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).
17	261	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.380 में से 0.150	राजपाल सिंह निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).
18	262	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.610 में से 0.450	सुन्ती बेवा शिवरण आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).
कुल				4.155 हेक्टेयर	

यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्प्रक्रमांच के पश्चात् की गयी है।

नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिह्नित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों, में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष : धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल आवश्यकता है इसलिए भू-अर्जन की अत्यावश्कता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये जा रहे हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 5-अ-82-भू-अर्जन-रक्षा-बधरेटा-2016-6357

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ ग्राम-बधरेटा प.ह.क्र. 00019, रा.नि. वृत्त-01, सुजर्मा तहसील कैलारस उपखण्ड सबलगढ़, जिला मुरैना में कुल 26.765 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात्:—

इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिये अर्जन के लिये निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम-बधरेटा प.ह.क्र. 00019, रा.नि. वृत्त-01, सुजर्मा तहसील कैलारस उपखण्ड सबलगढ़, जिला मुरैना में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:—

अनुसूची

क्र. सं.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	1448/1/ख	भूमिस्वामी कृषि भूमि	2.665	सरदार पुत्र मुरलीधर निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).	
2	1448/1/क/1	भूमिस्वामी कृषि भूमि	5.329 में से 5.300	रामजीलाल पुत्र हीरलाल निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).	
3	1448/1/क/2	भूमिस्वामी कृषि भूमि	7.994 में से 7.044	गनपति आदि पुत्रगण मुरलीधर निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).	
4	1448/1/क/3	भूमिस्वामी कृषि भूमि	3.500 में से 3.000	मु. लक्ष्मी देवी बेवा दिनेष सिंह आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).	
5	1448/1/मिन-2	भूमिस्वामी कृषि भूमि	7.366 में से 0.500	महाराज सिंह आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).	
6	1450	भूमिस्वामी कृषि भूमि	1.672	महाराज सिंह आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).	
7	1450	भूमिस्वामी कृषि भूमि	1.672	रामजीलाल आदि निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).	
8	1468	भूमिस्वामी कृषि भूमि	4.912	रामेश्वरदयाल पुत्र नन्दराम निवासी ग्राम (राजस्व अभिलेख अनुसार).	
कुल . .			26.765		

यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गयी है।

नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिह्नित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों, में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष : धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिए भू-अर्जन की अत्यावश्कता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

विनोद शर्मा, कलेक्टर,

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2016

क्र. एफ 2(क)-10-2015-बी-3-दो.—राज्य शासन एतद्वारा वर्ष 2016-17 में माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा अनुसार पुलिस बल में वृद्धि हेतु 6250 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान करता है।

2. उपरोक्त 6250 पदों का संवर्गवार शाखावार, जानकारी परिशिष्ट पर संलग्न हैं।
3. इस पर होने वाला व्यय परिशिष्ट में दर्शायी गई मांग संख्या तथा लेखा शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
4. इन पदों के संबंध में किसी गैर वित्तीय व्यवधार के परिवर्तन करने के लिये गृह विभाग इन पदों की पूर्ति के लिए एक बार में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करते हुए पदों की पूर्ति समान रूप से दो वर्षों में की जावे, चयन सूची की वैद्यता दो वर्ष निर्धारित की जावे।
5. यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक-यूओ क्रमांक 565-548-ब-8-चार-16, दिनांक 26 मई 2016 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लक्ष्मीकांत द्विवेदी, उपसचिव,

नवीन थाना/नवीन चौकी एवं चौकी का थाने में उन्नयन बाबत् विवरण
 लेखा शीर्ष-मांग संख्या-03-2055-पुलिस-109-जिला पुलिस (4491)-सामान्य व्यय (जिला स्थापना)

स.क्र.	झोन का नाम	जिले का नाम	थाने/चौकी का नाम	प्रस्तावित निकटतम थाना चौकी	निकटतम थाने का निरी उनि सउनि प्रआर आर प्रआर आर योग चालक चालक	प्रस्तावित बल												
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	भोपाल	भोपाल	कटारा हिल्स	नवीन थाना बागसेवनियां	1	1	4	9	19	0	1	35						
2	भोपाल	इटखेड़ी	उन्नयन	गुनगा	1	1	3	7	11	0	1	24						
3	भोपाल	समरधा	नवीन	मिसरोद	0	1	1	3	10	0	0	15						
4	सिहोर	अमलाहा	नवीन	आष्टा/चौकी	0	0	1	2	8	0	0	11						
5	सिहोर	गोपालपुर	उन्नयन	नसरूल्लागंज	1	1	3	7	11	0	1	24						
6	विदिशा	कागपुर	नवीन	नटेरन	0	0	1	2	8	0	0	11						
7	राजगढ़	बोडा	उन्नयन	पचौर	1	1	3	5	9	0	1	20						
8	रीवा	सतना	देहात	नवीन	मैहर	1	0	4	6	13	0	1	25					
9	सिंगरौली	नवानगर	थाना	बैठन	1	0	4	6	13	0	1	25						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
10	होशंगाबाद	होशंगाबाद	बालागंज	नवीन चौकी.	कोतवाली	0	0	1	2	8	0	0	11
11	रायसेन	औ. क्षेत्र	सतलापुर.	नवीन थाना.	मंडीदीप	1	0	4	6	13	0	1	25
12	रायसेन	देहात		नवीन चौकी.	कोतवाली	0	1	1	3	10	0	0	15
13	रायसेन	छोन्द		नवीन चौकी.	बरैली	0	0	1	1	6	0	0	8
14	बैतूल	भौरा		नवीन चौकी.	शाहपुर	0	0	1	2	8	0	0	11
15	बैतूल	सोनाधाटी		नवीन चौकी.	बैतूल	0	0	1	2	8	0	0	11
16	बैतूल	गंज		उन्यन	बैतूल	1	1	3	4	4	0	1	14
17	इन्दौर	इन्दौर	चंद्रावतीगंज	उन्यन	सांवर	1	1	4	5	8	0	1	20
18	इन्दौर	गांधी नगर		नवीन थाना.	एरोडम	1	1	4	9	19	0	1	35
19	इन्दौर	तिलक नगर		नवीन थाना.	परासिया.	1	1	4	9	19	0	1	35
20	इन्दौर	जिला	अस्पताल.	नवीन चौकी.	चंदननगर	0	1	1	3	10	0	0	15
21	खरगौन	बेडिया		उन्यन	सनावद	1	1	2	6	9	0	1	20
22	खरगौन	बिस्टान		उन्यन	भगवानपुरा	1	1	3	5	6	0	1	17
23	खरगौन	बमनाला		नवीन चौकी.	भीकनगांव	0	0	1	2	8	0	0	11
24	धार	राजगढ़		उन्यन	सरदारपुर	1	0	3	4	5	0	1	14

योग ... 14 13 58 110 243 0 14 452

झोन का नाम नाम	जिले का का नाम	थाने/चौकी का नाम	प्रस्तावित थाना चौकी उन्नयन की श्रेणी	निकटतम थाने का नाम	प्रस्तावित बल							
					निरी	उनि	सउनि	प्रआर	आर	प्रआर	आर	योग चालक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
उज्जैन	उज्जैन	नागझिरी	नवीन थाना	माधव नगर/ नरवर.	1	1	4	9	19	0	1	35
		रतलाम	धामनोद	नवीन चौकी.	0	0	1	2	8	0	0	11
ग्वालियर	ग्वालियर	गिरवाई	उन्नयन	माधौगंज	1	2	3	3	4	0	1	14
गुना		मकसूदनगढ़	उन्नयन	कोतवाली	1	1	3	4	7	0	1	17
गुना		घोसीपुरा	नवीन चौकी.	केंट	0	0	1	2	8	0	0	11
गुना		नानाखेड़ी	नवीन चौकी.	कोतवाली	0	0	1	2	8	0	0	11
अशोक		कदवाया	उन्नयन	ईसागढ़	1	1	3	4	4	0	1	14
	नगर.											
अशोक		बांगला	नवीन चौकी.	कोतवाली	0	0	1	2	8	0	0	11
	नगर.	चौराहा.										
शिवपुरी		फिजिकल	उन्नयन	कोतवाली	1	1	2	4	1	0	1	10
शहडोल	शहडोल	पपौध	नवीन थाना.	ब्यौहारी	1	0	4	6	13	0	1	25
शहडोल		खैरहा	उन्नयन	बुढार	0	1	3	7	13	0	0	24
उमरिया		घुनघुटी	नवीन चौकी.	पाली	0	0	1	2	8	0	0	11
अनूपपुर		सरई	नवीन चौकी.	करनपठार	0	0	1	2	8	0	0	11
अनूपपुर		फुनगा	नवीन चौकी.	कोतवाली	0	0	1	2	8	0	0	11
अनूपपुर		रामनगर	उन्नयन	बिजुरी	1	0	3	3	2	0	1	10
डिण्डौरी	मेहदवानी		उन्नयन	डिण्डौरी	1	0	3	4	1	0	1	10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
जबलपुर	जबलपुर	तिलवारा	नवीन थाना.	बरगी	1	3	6	11	27	0	2	50
जबलपुर	धनवन्तरी नगर.		नवीन चौकी.	गढ़ा	0	1	1	3	10	0	0	15
जबलपुर	नुनसर		नवीन चौकी.	पाटन	0	1	1	3	10	0	0	15
जबलपुर	गौरा बाजार		उन्नयन	केंट	1	1	3	5	9	0	1	20
नरसिंहपुर	डोगरगांव		नवीन थाना.	चीचली	1	1	4	9	19	0	1	35
नरसिंहपुर	स्टेशनगंज करेली.		उन्नयन	नरसिंहपुर	1	1	3	7	11	0	1	24
छिन्दवाड़ा	रावनवाड़ा		उन्नयन	नरसिंहपुर	1	1	3	7	11	0	1	24
सिवनी	झूड़ा सिवनी (ग्रामीण).		नवीन थाना.	कोतवाली	1	1	4	9	19	0	1	35
			योग . .		14	17	60	112	236	0	15	454

झोन का नाम नाम	जिले का नाम	थाने/चौकी का नाम	प्रस्तावित थाना चौकी	निकटतम थाने का निरी उन्नयन की श्रेणी	निकटतम थाने का निरी उन्नयन की श्रेणी	प्रस्तावित बल उन्नयन प्रआर आर प्रआर आर योग चालक						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
इन्दौर	धार	तिरला	नवीन चौकी.	सरदारपुर	0	0	1	2	8	0	0	11
	धार	सिंधाना	नवीन चौकी.	मनावर	0	0	1	2	8	0	0	11
	बड़वानी	पलसूद	उन्नयन	राजपुर	1	1	3	4	4	0	1	14
	बड़वानी	जुलवानिया	उन्नयन	राजपुर	1	1	3	4	4	0	1	14
सागर	टीकमगढ़	बंधा	नवीन चौकी.	मोहनगढ़	0	0	1	2	8	0	0	11
	टीकमगढ़	मजना	नवीन चौकी.	बलदेवगढ़	0	0	1	2	8	0	0	11
सागर	टीकमगढ़	जेवर	नवीन चौकी.	चंदेरा	0	0	1	2	8	0	0	11
			योग . .		2	2	11	18	48	0	2	83
			कुलयोग . .		30	32	129	240	527	0	31	989

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश
ओहदपुर, सिरोल रोड, ग्वालियर पिन—474 006**

ग्वालियर, दिनांक 30 दिसम्बर 2016

क्र. 3 सालि.-राज-9-4-2016-16891.—उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग का पत्र क्रमांक एफ-2(क)-10-2015-बी-2-दो, भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2016 एवं पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक पु.अ.-ग्वा-एसी-प्रथम-एल-14304-2016, दिनांक 29 दिसम्बर 2016 राज्य शासन द्वारा संदर्भित आदेश के माध्यम से पुलिस विभाग की क्षमता वृद्धि के परिपेक्ष्य में ग्वालियर जिले में चौकी गिरवाई का उन्नयन कर थाना गिरवाई स्थापित किये जाने की स्वीकृत प्रदाय की गयी है।

अतः उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में उन्नयित थाना गिरवाई की क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी करने का कष्ट करे।

नवीन थाना गिरवाई, जिला ग्वालियर :

नवीन थाना का नाम (1)	थाने के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों/मोहल्लों के नाम (2)	थाने से दूरी एवं दिशा (3)
थाना-गिरवाई	गिरवाई गांव	01 कि.मी. पश्चिम
	गोकुलपुर	01 कि.मी. पश्चिम
	गिरवाई ताल	04 कि.मी. पश्चिम
	अली नगर	05 कि.मी. पश्चिम
	विरावली	02 कि.मी. पश्चिम
	गोटपुरा	03 कि.मी. दक्षिण-पश्चिम
	भगवानपुरा	02.5 कि.मी. दक्षिण-पश्चिम
	अजयपुर	03 कि.मी. दक्षिण-पूर्व
	वीरपुर	02 कि.मी. दक्षिण-पूर्व
	गिरवाई पहाड़िया	1.5 कि.मी. दक्षिण-पूर्व
	धोकलपुरा	1.5 कि.मी. दक्षिण-पूर्व
	निचलापुरा	0.2 कि.मी. दक्षिण-पूर्व
	नगरे की पहाड़िया	1.5 कि.मी. दक्षिण-पूर्व
	बरथरियों का पुरा	01 कि.मी. उत्तर-पश्चिम
	छोटे बाबा अमरा पहाड़	02 कि.मी. उत्तर-पश्चिम
	जैन कालोनी	1.5 कि.मी. दक्षिण-पूर्व
	राजपूत कालोनी	1.5 कि.मी. दक्षिण-पूर्व
	सांई बिहार कालोनी	1.5 कि.मी. दक्षिण-पूर्व
	सर्वटे की पहाड़िया	0.5 कि.मी. दक्षिण-पूर्व
	पंचमुखी नगर	01 कि.मी. दक्षिण-पूर्व
	न्यू श्रीकृष्ण / श्रीकृष्ण कॉलोनी	04 कि.मी. पूर्व
	गडडा वाला मोहल्ला, ईमली नाका	03 कि.मी. पूर्व
	13. बटालियन	04 कि.मी. पूर्व
	महेशपुरा, बारह बीघा	01 कि.मी. पूर्व
	बिजली घर, तांगा मोहल्ला, कुम्हरों को मोहल्ला, खटीक मोहल्ला	03 कि.मी. पूर्व

(1)	(2)	(3)	
	सैनिक कॉलोनी	2.5कि.मी.	पश्चिम
	सरदार की मर्ली	2.5कि.मी.	पूर्व
	ठाकुर मोहल्ला	02कि.मी.	दक्षिण
	नीम चंदोबा	04कि.मी.	दक्षिण
	बेला की बाबड़ी	04कि.मी.	दक्षिण
	बिरावली	02कि.मी.	पश्चिम

NEW POLICE STATION : GIRWAI, DISTT. GAWALIOR :

Name of new Police Station (1)	Name of village / mohalla including in new Police Station (2)	Distance & Direction from Police Station (3)
Girwai	Girwai goun	01 km West
	Gokul pur	01 km West
	Girwai tal	04 km West
	Ali nagar	05 km West
	Birawali	02 km West
	Godu pura	03 km South-West
	Bhagwan pura	02.5km South-West
	Ajay pur	03 km South-East
	Veer pur	02 km South-East
	Girwai pahariya	01.5 km South-East
	Dhokal pura	01.5 km South-East
	Nichala pura	02 km South-East
	Nagre ki pahariya	01.5km South-East
	Barthariyon ka pura	01 km North-West
	Chhote Baba amra pahar	02 km North-West
	Jain colony	01.5 km South-East
	Rajpoot colony	01.5 km South-East
	Sai vihar colony	01.5 km South-East
	Sarawate ki pahariya	0.5 km South-East
	Panch mukhi nagar	01 km South-East
	New shri kirshana / Shri kirshana colony.	04 km East
	Gadda wala mohalla, Imli naka.	03 km East
	13th batalian	04 km East
	Mahesh pura, Barah vigha	01 km East
	Bijli ghar, tanga mohalla, kumharon ka mohalla, khatik mohalla.	03 km East
	Sainik colony	02.5 km West
	Sardar ki multi	02.5 km East
	Thakur mohalla	02 km South
	Neem chandoba	04 km South
	Bela ki babri	04 km South
	Birawali	02 km West

उक्तानुसार उन्नयित पुलिस थाना गिरवाई की अधिसूचना जारी किये जाने हेतु जानकारी प्रेषित है।

हस्ता./-
जिला अभियोजन अधिकारी,
जिला ग्वालियर।

हस्ता./-
पुलिस अधीक्षक,
जिला ग्वालियर।

हस्ता./-
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला ग्वालियर।

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन), जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 5 दिसम्बर 2016

क्र. 1275.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति, लश्कर, जिला ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 8 के उप-निर्वाचन 2016 में निम्नानुसार प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं :—

क्रमांक	निर्वाचित सदस्य का नाम	पद जिसके लिये निर्वाचित हुए	पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती गुड्डी राजे पत्नी श्री श्रीलाल राजे	कृषक सदस्य	ग्राम गणेशपुरा, पोस्ट-बड़गाँव, मुरार, जिला ग्वालियर, म. प्र.

शिवराज सिंह वर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वा.)

कार्यालय, कुलाधिपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश
राजभवन, भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2017

आदेश

क्र. एफ-1-4-12-रा.स.-यू.ए.-1-01.—आदेश क्रमांक एफ-1-4-12-रा.स.-यू.ए.1-1920 दिनांक 27 दिसम्बर 2012 के द्वारा प्रो. पियूष त्रिवेदी को पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 04 वर्ष की कालावधि के लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल का कुलपति नियुक्त किया गया था। इनका 4 वर्ष का कार्यकाल दिनांक 26 दिसम्बर 2012 को समाप्त हो गया है।

2. अतः, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल आगामी आदेश तक के लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के कुलपति के पद का कार्य संपादित करेंगे।

ओम प्रकाश कोहली, कुलाधिपति.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला रतलाम, मध्यप्रदेश
रतलाम, दिनांक 20 जून 2016

क्र. 1213-मण्डी निर्वा.-2016.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति, 105-सैलाना, जिला रतलाम के वार्ड क्रमांक 07, कुन्दनपुर के उपनिर्वाचन 2016 में निम्नानुसार कृषक सदस्य प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं :—

क्रमांक	निर्वाचित सदस्य का नाम	पद जिसके लिये निर्वाचित हुए	पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	राजेन्द्र प्रसाद-अम्बाशंकर	कृषक सदस्य	ग्राम सरवन, तहसील सैलाना, जिला रतलाम।

बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वा.)

**संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि
विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल**

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

क्र. एस-3.क्षे.आ.-श्रीदुर्गा-2016-17-639.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2016-17 हेतु श्री दुर्गा खाण्डसारी शुगर मिल, मेन्द्राना, तहसील पानसेमल, जिला बड़वानी (मध्यप्रदेश) के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :—

क्र.	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र	ग्रामों की क्षेत्र संख्या (हेक्टेयर में)	(4)	(5)
(1)	(2)	(3)			
1	बड़वानी/पानसेमल	फैक्ट्री गेट	45	1428.32	
		योग . .	45	1428.32	

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक, इस हेतु सम्परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

मोहनलाल, गन्ना आयुक्त।

श्री दुर्गा खाण्डसारी शुगर मिल्स मेन्द्राना

**पानसेमल तहसील में गन्ना आच्छादित क्षेत्र की सूची
पैराई सत्र 2016-17**

गन्ना आच्छादित रकबा (हेक्टेयर में)

क्र.	गांव का नाम	गन्ना खरीदी केन्द्र	बोया	जड़ी	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	जुनापानी	फैक्ट्रीगेट	16.80	45.42	62.22
2	आमदा	फैक्ट्री गेट	17.80	29.55	47.36
3	जलगान	फैक्ट्री गेट	16.47	25.04	41.52
4	चुनाभट्टी	फैक्ट्री गेट	5.47	1.06	6.53
5	पानसेमल	फैक्ट्री गेट	4.22	5.70	9.92
6	जैतपुरा	फैक्ट्री गेट	0.75	0.66	1.41
7	धरडगांव	फैक्ट्री गेट	2.20	11.15	13.35

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	दगडगाटी	फैक्ट्री गेट		1.71	1.71
9	राजपुरा	फैक्ट्री गेट	2.74	12.11	14.85
10	गौरीखेड़ा	फैक्ट्री गेट	4.31	7.14	11.45
11	दिवडीया	फैक्ट्री गेट		4.91	4.91
12	देवधर	फैक्ट्री गेट	1.45	1.20	2.65
13	बंधारा	फैक्ट्री गेट		1.38	1.38
14	पिपलोद	फैक्ट्री गेट	4.31	5.38	9.69
15	पिपरानी	फैक्ट्री गेट	2.42	3.54	5.97
16	खडकी	फैक्ट्री गेट	2.14	17.70	19.84
17	पन्नाली	फैक्ट्री गेट	1.74	16.32	18.06
18	ओसवाडा	फैक्ट्री गेट	5.16	1.96	7.11
19	मतराला	फैक्ट्री गेट		9.28	9.28
20	चिखलदा	फैक्ट्री गेट	2.04		2.04
21	मेन्द्राना	फैक्ट्री गेट	4.04	20.87	24.92
22	कानसुल	फैक्ट्री गेट	39.80	85.76	125.56
23	गोंगवाडा	फैक्ट्री गेट	26.65	39.67	66.32
24	बालझिरी	फैक्ट्री गेट	4.90	8.51	13.41
25	जाहुर	फैक्ट्री गेट	12.09	15.11	27.20
26	भमराटा	फैक्ट्री गेट	9.96	11.68	21.64
27	निसरपुर	फैक्ट्री गेट	28.80	36.28	65.08
28	भेलन	फैक्ट्री गेट	20.72	30.86	51.58
29	टेमला	फैक्ट्री गेट	32.30	46.10	78.40
30	दुधी	फैक्ट्री गेट	13.42	9.93	23.35
31	भडगोन	फैक्ट्री गेट	32.90	34.60	67.50
32	गोरतलाई	फैक्ट्री गेट	28.41	41.80	70.21
33	खेतिया	फैक्ट्री गेट	44.00	43.28	87.28
34	वेहडिया	फैक्ट्री गेट	51.26	99.01	150.26
35	भातकी	फैक्ट्री गेट	27.22	48.57	75.79
36	बांद्याबड	फैक्ट्री गेट		1.73	1.73
37	राखी	फैक्ट्री गेट		1.90	1.90
38	मलगांव	फैक्ट्री गेट	13.50	12.15	25.65
39	मल्फा	फैक्ट्री गेट	32.16	18.36	50.52
40	आमझिरी	फैक्ट्री गेट	3.30		3.30
41	ठेमली	फैक्ट्री गेट	3.66	5.46	9.11
42	बबूलताड	फैक्ट्री गेट	26.51	22.38	48.89
43	रोकडीया	फैक्ट्री गेट	0.29	1.61	1.90
44	बागदेव	फैक्ट्री गेट	13.03	30.44	43.47
45	करणपुरा	फैक्ट्री गेट	2.12		2.12
		कुल टोटल :	561.06	867.27	1,428.32

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2016

क्र. गन्ना-एस-३.क्षे.आ.-मॉ रेवा-2016-17-654.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2016-17 हेतु मॉ रेवा शुगर प्रा. लि. नर्मदानगर, तहसील कुक्षी, जिला धार (मध्यप्रदेश) के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :—

क्र.	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र	ग्रामों की क्षेत्र संख्या (हेक्टेयर में)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	धार/कुक्षी	फैक्ट्री गेट	55	654.52				
2	धार/गंधवानी	फैक्ट्री गेट	72	23.51				
3	धार/मनावर	फैक्ट्री गेट	47	1023.19				
4	बड़वानी/अंजड़	फैक्ट्री गेट	15	827.61				
5	बड़वानी/बड़वानी	फैक्ट्री गेट	34	556.35				
6	बड़वानी/राजपुर	फैक्ट्री गेट	09	20.621				
		कुल ..	232	3105.80				

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक, इस हेतु सम्परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

मोहनलाल, गन्ना आयुक्त,

तहसील—कुक्षी (जिला धार)

क्र.	ग्राम	हवाई दूरी कि.मी.	क्षेत्रफल हेक्टर	(1)	(2)	(3)	(4)
1	चिखलदा	2.43	77.05				
2	गेहलगांव	4.12	30.8				
3	मलवाड़ा	3.41	67.19				
4	कड़माल	4.66	44.8				
5	खापड़खेड़ा	6.87	32.5				
6	बाजरीखेड़ा	8.11	25.92				
7	नर्मदानगर (खेड़ा-सिसग)	0.92	152.44				
8	निसरपुर	9.76	45.05				
9	कोटेश्वर	11.8	1.19				
10	कोणदा	14.8	0.79				
11	दोगावां	17.5	4.7				
12	कुआं-धर्मराय	23.8	2				

(1)	(2)	(3)	(4)
13	भवरिया	12.9	12.39
14	पिपल्या	5.53	2.14
15	पुरा	2.82	6.5
16	दोंद	4.9	2.4
17	कोठड़ा	10.8	14.91
18	बोधवाड़ा	4.51	21.35
19	लिंगवा	3.43	1.9
20	बेडबालियाँ	5.27	4.05
21	सुसारी	17.2	17.41
22	करोदीया	8.22	7.78
23	नवादपुरा	13.6	1.05
24	डेहर	17.2	2.9
25	देशवालियाँ	9.45	1.02
26	कुक्षी	19.4	6.07
27	बड़दा	24.5	5.09
28	पड़ियाल	20.3	3.12
29	कटनेरा	9.37	2.19
30	कापशी	19.1	10.27
31	आली	25.9	2.1
32	सिलकुओं	20.1	1.01
33	रिक्ती	9.81	1.2
34	रसवा	9.81	0.1
35	तालनपुर	8.31	1.2
36	डोगरगांव	21.8	7.73
37	पिथमपुर	18.6	7.1
38	बबुलसा	15.6	1
39	अमलझुमा	1.17	2
40	धनोरा	11.1	0.8
41	लोनी	14.6	1.7
42	गोरदा	15.6	0.79
43	रेक्ती	9.71	1.7
44	खंडवा	7.12	0.7
45	दाहोद	4.71	2.05
46	खरजाना	13.6	1
47	गोगावा	15.1	0.7
48	गोरडा	16.4	2
49	किकरवास	18.2	1.9
50	जमदा	27.2	2.3
51	अतारसुमा	27.5	1.7
52	खड़जाना	13.3	1.9
53	बदवानिया	23.7	2.05

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
54	सिद्धी	27.1	2.03	19	बलीपुर	21.5	17.22
55	बारुद	13.1	0.79	20	अजंदा	23.3	29.2
		योग . .	<u>654.52</u>	21	कुवाली	25.1	11.8

तहसील—गंधवानी (जिला धार)

क्र.	ग्राम	हवाई दूरी कि.मी.	क्षेत्रफल हेक्टर	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	24	वायल	20.4	67.2	25	सिरसी	5.31	8.5
1	सोनगांव	17.8	0.97	26	पिपरीमान	22.3	35.2	27	गोपालपुरा	4.5	22.11
2	पानवा	24.8	2.15	28	बीजाबेडी	15.2	4.3	29	भरडपुर	24.4	0.69
3	पीपली	17.9	4.71	30	पिपरी	22.2	8.18	31	लुन्हैरा	26.1	25.54
4	धाड़लाई	15.5	2.04	32	कलवानी	20.5	37.5	33	अंजदीकोट	10.2	3.9
5	जिरावाद	38.5	1.5	34	जाजमखेड़ी	22.4	2.8	35	मनावर	23.4	30.3
6	गंधवानी	28.4	1.81	36	टोकी	18.1	2.63	37	साला	10.6	2.9
7	देदली	23.5	1.75	38	खेड़ीहवेली	183	3.2	39	सुलगांव	9.94	1.9
8	मलहर	29.5	2.12	40	रणतलाव	921	2.14	41	पालासी	9.21	1.38
9	साली	31.2	2.05	42	कुड़ाराखाल	20.4	1.11	43	महताबखेड़ी	14.6	4
10	रोनगांव	28.2	2.18	44	झापड़ी	16.2	3	45	गोलाटी	20.1	2.15
11	सतुमरी	34.4	1.17	46	बागलिया	21.1	5.67	47	लाखनकोट	22.5	2.13
12	बखतला	22.2	1.06	योग . .	<u>23.51</u>	योग . .	<u>1023.19</u>				

तहसील—मनवार (जिला धार)

क्र.	ग्राम	हवाई दूरी कि.मी.	क्षेत्रफल हेक्टर	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	40	रणतलाव	921	2.14	41	पालासी	9.21	1.38
1	देवगढ़	7.47	25.38	42	कुड़ाराखाल	20.4	1.11	43	महताबखेड़ी	14.6	4
2	कवटी	8.28	41.32	44	झापड़ी	16.2	3	45	गोलाटी	20.1	2.15
3	साततलाई	7.46	8.03	46	बागलिया	21.1	5.67	47	लाखनकोट	22.5	2.13
4	सरिफपुरा	21.9	30.05	योग . .	<u>1023.19</u>						
5	उरदना	20.3	17.05								
6	सिंधाना	11.8	4.9								
7	लोहारी	12.2	3.8								
8	गणपुर	3.7	4.14								
9	जोतपुर	19.5	10.05								
10	पिपलाज	10.5	7.63								
11	मिर्जापुर	27.2	17.4								
12	सेमल्दा	15.5	119.2								
13	अछोदा	13.9	73.05								
14	सिरसाला	16.7	11.07								
15	डोगरगांव	1.2	2.5								
16	करौली	14.6	97.4								
17	बड़गाँवखेड़ी	16.2	4.2								
18	मांडवी	5.57	22.01								

तहसील—अंजड़ (जिला बड़वानी)

1	चकेरी	18.7	28.4
2	अंजड़	16	164
3	मोहीपुरा	20	159
4	दतवाड़ा	18.8	175.3
5	आवली	12	53.11
6	केसरपुरा (पुनरवॉस)	22	45
7	छोटा बड़दा	15	134.4
8	छापरी	14	4.7

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
9	विलवा रोड	22	2.8	31	राजधाट (कुकरा)	3.13	0.97
10	सुराना	25	4.9	32	नायनपुरा	11.2	0.9
11	गोलाटा	18	35.3	33	पाल्या	10.1	2.8
12	बड़गांव	9.69	3.2	34	सोन्दुल	11.1	10.06
13	झोलपीपरी	16.8	5.4			योग . .	556.35
14	साजवाय	20	6.9				
15	पलासियॉ	19	5.2				
			योग . .	827.61			

तहसील—बड़वानी (जिला बड़वानी)

1	बड़वानी	7.61	66.78	1	साली	20	3	
2	तलून	9.1	37.8	2	भागसुर	22	2.8	
3	बोरलाय	12.8	17.2	3	कासेल	23	1.5	
4	धनोरा	12.7	18.2	4	साकड़	24	0.76	
5	पिपरी	10.2	26.03	5	मंदील	25	3	
6	कालीबेड़ी	6.3	3.5	6	बालकुआं	15	2.05	
7	तलाड़ा बुजूर्ग	6.1	2.8	7	भामी	20	1.07	
8	पिपलाज	7.4	39.7	8	मोस्ती	25	1.04	
9	कुंडिया	7.3	35.02	9	उपला	29.5	5.4	
10	छोटी-कसरावद	6.1	32.26			योग . .	20.62	
11	पिपलुद	8.1	87.5					
12	उटावद	10.2	18.05					
13	सेंगावा	9.8	10.92					
14	करी	8.19	13.2					
15	कल्यानपुरा	7.43	7.02					
16	खेड़ी	4.83	2.05					
17	बगुद	4.17	69.7					
18	एकलारा	3.28	25.53					
19	जागरवा	12.9	2	1	जबलपुर/शहपुरा	फैक्ट्री गेट	150	1974.00
20	पिछोड़ी	7.88	0.82	2	जबलपुर/पाटन	फैक्ट्री गेट	60	240.00
21	जामदा	8.5	1.1	3	नरसिंहपुर/गोटेगांव	फैक्ट्री गेट	122	2459.00
22	कोठड़ा	9.1	0.7			योग . .	332	4673.00
23	अवलदा	12.9	1.3					
24	भावती	15.2	1.04					
25	बिजासन	9.8	1.08					
26	मोरकटा	21.6	2.5					
27	निवा	24.2	1.7					
28	अमलाली	16.8	1.9					
29	पेन्डरा	5.21	2.24					
30	भिंलखेड़ा	5.19	11.98					

क्र. एस-3.क्षे.आ.-रेवाकृपा-2016-17-657.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियम) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, मोहनलाल गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पेराई मौसम वर्ष 2016-17 हेतु रेवाकृपा शुगर मिल प्रा. लि. भिटोनी, जिला-जबलपुर (म. प्र.) के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :—

क्र.	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र संख्या (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	जबलपुर/शहपुरा	फैक्ट्री गेट	150	1974.00
2	जबलपुर/पाटन	फैक्ट्री गेट	60	240.00
3	नरसिंहपुर/गोटेगांव	फैक्ट्री गेट	122	2459.00
		योग . .	332	4673.00

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक इस हेतु सम्परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पेराई कार्य में प्रभावशील रहेगा.

मोहनलाल, गन्ना आयुक्त.

रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. जबलपुर
(आकृति समूह का एक संस्थान)

गन्ना पिराई सत्र 2016-17 प्रस्ताव

तहसील शहपुरा, जिला जबलपुर की सूची

क्र. गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	नौरपा गन्ना	जड़ी I रकबा	जड़ी II रकबा	जड़ी III रकबा	कुल रकबा	संभावित उत्पादन 40 टन/हे.	(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)		
							पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 45%	रेवा कृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि.मी.	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 पौड़ी (फाटक)	2.10	0.75	0.10	0.10	3.05	122.00	54.90		
2 घुन्सौर	0.00	20.90	10.10	0.00	31.00	1240.00	558.00		
3 कैथरा (शहपुरा)	3.10	6.70	3.20	2.00	15.00	600.00	270.00		
4 भिटौनी	0.10	0.20	0.30	0.10	0.70	28.00	12.60		
5 भमकी	0.10	0.00	2.10	0.00	2.20	88.00	39.60		
6 खमदेही	0.20	0.00	2.00	1.40	3.60	144.00	64.80		
7 भद्रवारा	0.30	0.00	0.20	0.00	0.50	20.00	9.00		
8 गंजकटंगा	21.00	10.50	7.40	2.80	41.70	1668.00	750.60		
9 शहपुरा	4.10	0.40	0.20	0.30	5.00	200.00	90.00		
10 नोनी (टिपरा)	1.84	0.90	7.80	3.70	14.24	569.52	256.29		
11 खिरकाखेड़ा	0.10	0.00	0.30	0.35	0.75	30.00	13.50		
12 किसरोद	0.15	0.30	0.65	0.70	1.80	72.00	32.40		
13 टिकरी	0.15	5.00	5.00	1.30	11.45	458.00	206.10		
14 टिपरा	2.50	6.10	4.40	3.75	16.75	670.00	301.50		
15 मगरमुहा	4.10	5.20	5.40	2.10	16.80	672.00	302.40		
16 नटवारा	22.56	55.10	22.10	5.10	104.86	4194.40	1887.48		
17 इमलिया	2.15	0.80	2.40	1.21	6.56	262.40	118.08		
18 छपरट	0.20	3.10	1.90	0.20	5.40	216.00	97.20		
19 कुलोन (छपरट)	0.40	0.40	0.20	0.20	1.20	48.00	21.60		
20 रैयाखेड़ा	0.25	3.10	2.10	4.40	9.85	394.00	177.30		
21 पौड़ी (परछिया)	0.18	0.00	0.40	0.30	0.88	35.20	15.84		
22 कटंगी (सहजपुर)	0.10	0.20	0.20	0.20	0.70	28.00	12.60		
23 ईश्वरखेड़ा	0.10	0.00	1.35	1.10	2.55	102.00	45.90		
24 लुहारा	0.20	0.00	2.30	0.00	2.50	100.00	45.00		
25 भमका	0.00	0.10	0.00	1.10	1.20	48.00	21.60		
26 मालकछार	0.00	0.10	0.20	0.20	0.50	20.00	9.00		
27 दिघोरी	0.10	0.00	0.30	0.20	0.60	24.00	10.80		
28 ढिमर (झोझी)	0.00	0.10	0.20	0.30	0.60	24.00	10.80		
29 पिपरिया (कनवास)	0.00	0.10	0.10	0.10	0.30	12.00	5.40		
30 सहजपुर	0.10	1.40	1.40	0.00	2.90	116.00	52.20		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
31 झोड़ी		0.10	0.15	0.20	0.10	0.55	22.00	9.90	
32 रमखिरिया		4.10	4.40	3.00	5.60	17.10	684.00	307.80	
33 नाचनखेड़ा		0.10	0.00	0.20	0.10	0.40	16.00	7.20	
34 रामघाट (पिपरिया)		0.00	0.00	0.20	0.25	0.45	18.00	8.10	
35 बिजना		0.40	0.50	1.10	0.10	2.10	84.00	37.80	
36 महगवा सगड़ा		0.50	1.10	2.00	1.90	5.50	220.00	99.00	
37 बरगी		2.78	1.56	4.50	3.21	12.05	482.06	216.92	
38 बम्हनौदा		0.10	0.40	0.20	0.30	1.00	40.00	18.00	
39 सुर्दे		0.10	0.00	0.20	0.20	0.50	20.00	9.00	
40 सीतलपुर		0.10	0.00	0.30	0.00	0.40	16.00	7.20	
41 बिलपठार		9.40	4.70	1.60	5.20	20.90	836.00	376.20	
42 खपरा		0.40	0.60	1.90	0.00	2.90	116.00	52.20	
43 धरमपुरा बंधा		0.20	0.00	0.40	0.00	0.60	24.00	10.80	
44 बरखेडा (सहजपुर)		0.00	0.00	0.30	0.40	0.70	28.00	12.60	
45 प्रछिया		0.10	0.10	0.20	0.20	0.60	24.00	10.80	
46 बरहां		0.10	0.00	0.90	0.00	1.00	40.00	18.00	
47 हिरापुर बंधा		1.50	0.20	0.20	0.10	2.00	80.00	36.00	
48 उमरिया		62.25	8.50	30.10	30.50	131.35	5254.00	2364.30	
49 खैरी बंधा		1.00	0.00	0.20	0.20	1.40	56.00	25.20	
50 सहोजनी		0.10	0.10	0.20	0.20	0.60	24.00	10.80	
51 लूटी		7.10	10.50	4.10	4.10	25.80	1032.00	464.40	
52 भीटा		0.10	0.50	0.20	0.00	0.80	32.00	14.40	
53 अगासी		0.00	0.10	0.20	0.10	0.40	16.00	7.20	
54 मनगांव		2.10	1.00	0.30	0.20	3.60	144.00	64.80	
55 मानेगांव		4.43	0.20	0.30	0.40	5.33	213.17	95.92	
56 गड़रपिपरिया		0.10	0.00	0.20	0.10	0.40	16.00	7.20	
57 कैथरा (सहजपुर)		0.00	0.00	1.10	1.20	2.30	92.00	41.40	
58 सिहोदा		0.00	0.20	0.20	0.20	0.60	24.00	10.80	
59 दुठा (मानसनगर)	16.10	25.30	15.10	5.00	61.50	2460.00	1107.00		
60 बिलखिरवा		0.00	1.10	0.20	0.20	1.50	60.00	27.00	
61 मटवारा		15.20	5.40	2.40	2.00	25.00	1000.00	450.00	
62 मुडीया		1.10	2.60	1.70	0.14	5.54	221.60	99.72	
63 ज्वाप		0.10	0.40	0.10	0.20	0.80	32.00	14.40	
64 लम्हेटा		0.10	0.40	1.00	0.21	1.71	68.40	30.78	
65 भीटा		0.10	0.50	0.00	0.00	0.60	24.00	10.80	14
66 कुसमी		10.10	6.50	5.10	0.00	21.70	868.00	390.60	14
67 डोभी		4.45	15.20	5.00	0.00	24.65	986.00	443.70	14
68 जमुनिया (ज्वाप)		0.10	0.90	0.00	0.00	1.00	40.00	18.00	15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
69 झुरई पिपरीया	0.90	1.30	1.35	1.90	5.45	218.11	98.15	15	
70 खेरी (लमेहटा)	0.10	0.00	0.20	0.00	0.30	12.00	5.40	15	
71 फूलर	5.80	2.20	0.20	0.20	8.40	336.00	151.20	15	
72 अहरोरा	0.10	0.20	0.30	0.20	0.80	32.00	14.40	15	
73 करहैया	4.90	10.20	5.70	2.10	22.90	916.00	412.20	16	
74 केवलारी	0.25	1.40	1.30	0.00	2.95	118.00	53.10	16	
75 भरदा	0.10	0.20	0.10	0.30	0.70	28.00	12.60	16	
76 नीमखेड़ा	4.90	5.00	1.10	0.20	11.20	448.00	201.60	14	
77 रैनी	0.10	0.10	0.10	0.40	0.70	28.00	12.60	16	
78 आमहिनोता	0.15	0.20	0.10	0.20	0.65	26.00	11.70	16	
79 मजीठा	0.10	0.10	0.20	0.00	0.40	16.00	7.20	17	
80 करहैया कला	0.10	5.30	0.20	0.00	5.60	224.00	100.80	17	
81 कटीला	0.35	0.40	0.10	0.00	0.85	33.93	15.27	17	
82 इमलिया (मानेगांव)	0.14	0.60	3.90	0.00	4.64	185.60	83.52	17	
83 लामी	0.15	0.00	0.00	0.10	0.25	10.00	4.50	18	
84 मनगवां	0.10	4.10	2.30	2.10	8.60	344.00	154.80	18	
85 तिलवारा	0.00	0.10	0.10	0.00	0.20	8.00	3.60	19	
86 कूड़न	0.00	0.00	0.20	0.10	0.30	12.00	5.40	19	
87 मनकेडी	40.00	36.10	15.10	5.00	96.20	3848.00	1731.60	19	
88 खमरिया	0.10	8.10	0.10	0.20	8.50	340.00	153.00	20	
89 तेवर पिपरीया	0.86	0.70	0.20	3.20	4.96	198.49	89.32	20	
90 कुआंखेडा	0.10	0.20	0.10	0.10	0.50	20.00	9.00	23	
91 जमखार	0.00	0.10	0.20	0.10	0.40	16.00	7.20	24	
92 चरगंवा (नवीन)	5.08	10.30	5.30	1.90	22.58	903.24	406.46	24	
93 कुसली	28.30	31.60	15.50	8.90	84.30	3372.00	1517.40	24	
94 जमुनिया (मैली)	1.79	0.20	0.10	0.25	2.34	93.42	42.04	25	
95 सालीवाडा (मैली)	0.00	0.10	0.10	0.10	0.30	12.00	5.40	25	
96 सुनाचर	29.10	41.12	20.10	9.00	99.32	3972.80	1787.76	25	
97 गुंदरई	0.10	0.00	0.20	0.20	0.50	20.00	9.00	25	
98 मैली	0.00	2.64	0.00	0.00	2.64	105.60	47.52	26	
99 बेलखेडा	2.10	6.15	3.70	4.70	16.65	666.00	299.70	26	
100 हिनोतिया	0.37	4.70	7.15	2.10	14.32	572.80	257.76	27	
101 पिपरिया कंला	0.40	0.00	3.10	0.20	3.70	148.00	66.60	28	
102 मातनपुर	15.10	15.00	6.10	5.10	41.30	1652.00	743.40	28	
103 गुबरा कला	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	16.00	7.20	30	
104 बिहारीपुरा	4.11	7.20	5.40	3.40	20.11	804.37	361.97	30	
105 सुन्द्रादेही	21.10	18.10	15.10	2.30	56.60	2264.00	1018.80	30	
106 इमलिया	0.00	0.00	1.10	1.10	2.20	88.00	39.60	30	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
107 झाँसी		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30
108 भौतिया		0.20	0.20	0.10	0.00	0.50	20.00	9.00	30
109 वरमान		2.10	0.00	0.00	0.35	2.45	98.00	44.10	31
110 झलोन		0.10	0.00	0.00	0.39	0.49	19.60	8.82	31
111 तुमरा		3.10	5.40	0.30	0.50	9.30	372.00	167.40	32
112 गोकला		10.20	14.10	8.40	8.10	40.80	1632.00	734.40	32
113 छपरा		0.00	10.50	0.10	0.00	10.60	424.00	190.80	33
114 मेरेगांव		21.11	22.70	5.40	1.90	51.11	2044.40	919.98	34
115 बेलखेडी		35.10	40.10	30.10	30.90	136.20	5448.00	2451.60	34
116 बसेडी		14.10	12.10	8.90	7.10	42.20	1688.00	759.60	34
117 गुबरा खुर्द		0.10	0.20	5.60	5.35	11.25	450.00	202.50	34
118 सिमरिया		0.00	3.60	0.60	0.10	4.30	172.00	77.40	35
119 कुड़ा (इमलिया)		0.10	4.20	2.10	1.20	7.60	304.00	136.80	35
120 धनगंवा		0.00	6.50	0.10	0.00	6.60	264.00	118.80	35
121 कुडाकला		0.40	5.30	6.10	4.50	16.30	652.00	293.40	35
122 बरपटी		15.20	9.10	5.00	3.20	32.50	1300.00	585.00	35
123 पावला		11.57	13.90	8.70	35.10	69.27	2770.80	1246.86	35
124 चरगंवा (पुरानी)		6.90	2.10	2.30	1.35	12.65	506.00	227.70	35
125 मिहंगंवा (भडपुरा)		0.24	3.20	0.10	0.20	3.74	149.55	67.30	36
126 जगतपुरा		0.10	5.10	0.10	0.40	5.70	228.00	102.60	37
127 धरती कछार		0.00	6.10	0.10	0.20	6.40	256.00	115.20	38
128 औरिया		1.90	0.10	0.10	0.10	2.20	88.00	39.60	38
129 बम्बाबारी		3.30	3.10	1.20	2.60	10.20	408.00	183.60	38
130 सर्दा		2.10	0.20	0.30	0.40	3.00	120.00	54.00	
131 पाथर पौडी		5.20	3.10	0.30	4.50	13.10	524.00	235.80	
132 महंगंवा (खाप)		6.10	5.20	0.30	5.50	17.10	684.00	307.80	
133 दलपतपुर		6.90	6.95	1.60	0.90	16.35	654.00	294.30	
134 केदारपुर		10.70	8.10	8.50	8.90	36.20	1448.00	651.60	
135 अहमदपुर		2.10	2.10	0.60	1.95	6.75	270.00	121.50	
136 देवरी (पुरानी)		11.10	5.30	5.20	5.10	26.70	1068.00	480.60	
137 बढ़याखेड़ा		1.73	5.50	3.50	3.40	14.13	565.31	254.39	
138 किसलई		0.15	6.30	0.20	0.00	6.65	266.00	119.70	
139 सुनवारा		8.10	4.35	8.80	25.20	46.45	1858.00	836.10	
140 नयानगर		1.84	2.80	0.40	0.75	5.79	231.68	104.26	
141 सिंगोरी		0.00	0.20	0.30	0.25	0.75	30.00	13.50	
142 इमलिया (ललपुर)		0.10	5.00	1.90	0.00	7.00	280.00	126.00	
143 बिजना		0.00	1.30	2.40	1.70	5.40	216.00	97.20	
144 भारतपुर		3.10	3.90	5.00	4.00	16.00	640.00	288.00	
145 दपकिया		2.20	0.20	0.39	0.35	3.14	125.60	56.52	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
146	भीकमपुर	5.10	0.20	0.40	0.50	6.20	248.00	111.60	
147	सिद्धपुरी	4.80	0.35	0.25	1.10	6.50	260.00	117.00	
148	प्रेमनगर(सूखा)	0.40	0.35	0.20	0.20	1.15	46.00	20.70	
149	गंगाई	1.50	1.30	0.25	0.20	3.25	130.00	58.50	
150	रजोला	6.20	0.40	0.35	0.20	7.15	286.00	128.70	
कुल योग		582.78	658.97	412.44	320.11	1974.30	78972	35537	

रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा (भिटौनी), जबलपुर
(आकृति समूह का संस्थान)

गन्ना पिराई सत्र 2016-17 हेतु आरक्षण प्रस्ताव

तहसील-पाठन, जिला-जबलपुर के गन्ना ग्रामों की सूची

क्र.	गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	नौरपा गन्ना	जड़ी I	जड़ी II	जड़ी III	कुल रकबा	संभावित उत्पादन 40 टन/हे.	पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 45%	(क्षेत्रफल हेक्टर में) रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि.मी.
			रकबा	रकबा	रकबा				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	सहसन	0.40	2.20	3.00	0.40	6.00	240.00	108.00	6
2	खैरी (सहसन)	0.20	2.15	1.90	0.30	4.55	182.00	81.90	8
3	कुवरपुर	0.00	0.40	0.80	1.10	2.30	92.00	41.40	10
4	रैयाखेड़ा	0.20	2.10	3.10	2.90	8.30	332.00	149.40	10
5	धनेटा	0.61	3.80	10.00	3.80	18.21	728.40	327.78	10
6	भुवारा	0.00	0.60	0.20	0.20	1.00	40.00	18.00	11
7	राखी	3.50	1.10	1.10	0.10	5.80	232.00	104.40	11
8	ग्वारी	0.00	0.00	2.80	1.10	3.90	156.00	70.20	11
9	बढ़ोरी	0.50	1.10	0.40	0.00	2.00	80.00	36.00	12
10	भकलिया	0.00	0.30	1.10	1.90	3.30	132.00	59.40	12
11	नन्दवारा	0.10	0.40	0.50	1.10	2.10	84.00	37.80	13
12	चदवा	0.30	3.20	1.10	0.00	4.60	184.00	82.80	13
13	पड़रिया (भमक)	2.40	0.00	0.80	3.20	6.40	256.00	115.20	14
14	कुमगंवा	0.10	0.40	0.40	1.65	2.55	102.00	45.90	14
15	सिमरिया	0.30	0.70	0.50	0.80	2.30	92.00	41.40	14
16	बढ़याखेड़ा	3.61	1.94	0.50	0.20	6.25	249.89	112.45	15
17	मढ़पिपरिया	0.10	0.40	0.45	0.40	1.35	54.00	24.30	15
18	पाठन	5.30	1.90	1.10	0.35	8.65	346.00	155.70	15
19	सिंगोरी	0.10	3.80	1.50	0.90	6.30	252.00	113.40	16
20	चपोद	0.00	0.40	0.60	0.00	1.00	40.00	18.00	17

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21	अमरपुर	0.00	0.00	1.10	0.80	1.90	76.00	34.20	17
22	गुरुपिपरिया	0.00	0.20	0.40	0.00	0.60	24.00	10.80	18
23	झूड़ी	0.80	0.45	0.60	1.36	3.21	128.40	57.78	18
24	महुआखेड़ा	0.00	1.70	0.50	3.00	5.20	208.00	93.60	18
25	गाड़ाघाट	7.35	0.20	0.30	0.00	7.85	313.93	141.27	18
26	भोरदा	0.10	0.00	0.40	0.30	0.80	32.00	14.40	20
27	सिन्नोरी	0.00	0.00	0.30	0.40	0.70	28.00	12.60	20
28	सिंगोरी	1.08	6.90	3.10	5.20	16.28	651.08	292.98	20
29	सरखण्डी	0.00	0.00	0.40	1.36	1.76	70.40	31.68	20
30	नीची	0.00	0.00	0.40	0.30	0.70	28.00	12.60	21
31	मुस्करा	0.35	0.20	0.30	0.10	0.95	38.09	17.14	22
32	नीमी	6.16	4.60	1.10	1.47	13.33	533.28	239.07	22
33	कटरा बेलखेड़ा	0.20	2.30	0.40	0.40	3.30	132.00	59.40	22
34	सिमरिया	0.10	0.00	0.20	0.50	0.80	32.00	14.40	22
35	रोसग	0.10	2.30	1.10	1.60	5.10	204.00	91.80	23
36	झूड़ी	0.15	0.10	0.20	0.30	0.75	30.00	13.50	23
37	जरोद	3.00	0.00	0.30	0.25	3.55	142.00	63.90	24
38	बरोदा	0.00	1.20	1.20	2.25	4.65	186.00	83.70	25
39	हटेपुरखुर्द	2.30	0.50	0.40	0.30	3.50	140.00	63.00	27
40	खमोद	1.69	0.00	0.80	0.80	3.29	131.60	59.22	27
41	उजरोड	0.30	0.10	1.90	2.30	4.60	184.00	82.80	28
42	हटेपुरकलां	3.69	0.00	0.80	0.50	4.99	199.60	89.82	28
43	आगासोद	0.00	0.40	0.60	2.10	3.10	124.00	55.80	30
44	रमखिरिया	1.30	0.30	0.20	0.60	2.40	96.00	43.20	30
45	सहसन पडरिया	0.10	0.10	0.20	0.30	0.70	28.00	12.50	30
46	पडरिया (ब्योहारी)	3.44	0.80	3.10	0.99	8.33	333.09	149.89	30
47	मझगंवा	0.10	1.10	0.80	2.00	4.00	160.00	72.00	30
48	कटिया लुहारी	0.00	0.40	0.50	6.00	6.90	276.00	124.20	31
49	पडरिया (थुआं)	3.90	3.10	0.30	0.40	7.70	308.00	138.60	32
50	आरछा	1.00	1.30	0.40	0.00	2.70	108.00	48.60	32
51	बरोदा	0.00	0.20	0.30	0.40	0.90	36.00	16.20	32
52	नुनसर	1.30	0.00	0.90	0.80	3.00	120.00	54.00	32
53	कैथरा	0.60	0.00	0.20	0.40	1.20	48.00	21.60	32
54	भरा	0.30	0.40	0.30	0.35	1.35	54.00	24.30	32
55	लुहारी (कटिया)	0.60	0.10	0.80	0.65	2.15	86.00	38.70	30
56	कॉटी	1.30	0.00	0.90	1.21	3.41	136.40	61.38	25
57	बरही	0.10	0.00	0.60	0.80	1.50	60.00	27.00	12
58	कनवास पिपरिया	0.60	0.23	0.30	0.40	1.53	61.20	27.54	8
59	बनवार	0.20	0.50	0.65	0.30	1.65	66.00	29.70	20
60	पिपरिया चन्द्रभान	0.10	0.29	0.30	2.30	2.99	119.60	53.82	20
	कुल योग.	60.02	56.86	59.40	63.89	240.17	9607.00	4323.00	

**रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा (भिटौनी), जबलपुर
(आकृति समूह का एक संस्थान)**

गन्ना पिराई सत्र 2016-17 हेतु आरक्षण प्रस्ताव

तहसील-गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर के गन्ना ग्रामों की सूची

क्र.	गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	नौरपा गन्ना	जड़ी I	जड़ी II	जड़ी III	कुल रकबा	संभावित उत्पादन 40 टन/हे.	पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 45%	(क्षेत्रफल हेक्टर में) रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि.मी.
			रकबा	रकबा	रकबा	(7)	(8)	(9)	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	झांसीघाट	6.50	7.20	10.04	9.00	32.74	1309.60	589.32	18
2	बेलखेड़ी (झांसीघाट)	1.00	3.00	2.04	2.10	8.14	325.60	146.52	16
3	खमरीया (झांसीघाट).	8.80	20.00	20.50	5.00	54.30	2172.00	977.40	20
4	देगुंवा	6.90	11.50	18.60	14.10	51.10	2044.00	919.80	20
5	रिमझा (खमरीया)	11.20	13.36	14.20	0.10	38.86	1554.40	699.48	22
6	मालीवाड़ा	15.50	18.30	32.50	21.10	87.40	3496.00	1573.20	23
7	सिलारी	20.20	13.72	11.30	5.20	50.42	2016.80	907.56	23
8	नोनी	1.00	5.00	11.25	4.20	21.45	858.00	386.10	23
9	बुढ़ीमवई	5.60	0.00	5.50	3.73	14.83	593.20	266.94	24
10	कंजई	2.00	11.75	35.10	11.30	60.15	2406.00	1082.70	24
11	पिपरपानी	15.60	11.60	10.20	15.00	52.40	2096.00	943.20	25
12	करेली (कला)	30.31	8.40	14.55	0.00	53.26	2130.40	958.68	25
13	कुम्हड़ाखेड़ा	2.20	2.30	5.30	1.30	11.10	444.00	199.80	30
14	गोटेगांव	3.00	6.50	3.25	2.00	14.75	590.00	265.50	25
15	बुधगांव	1.29	1.62	0.00	0.00	2.91	116.30	52.33	25
16	कुमझोर	4.60	0.00	0.00	3.10	7.70	308.00	138.60	28
17	सालीवाड़ा	15.30	0.00	26.00	9.00	50.30	2012.00	905.40	26
18	झोझा	0.12	16.80	2.10	3.60	22.62	904.80	407.16	26
19	उमरा (उमरी)	0.94	5.30	0.00	0.00	6.24	249.73	112.38	27
20	कुकलाह	1.61	22.59	15.81	2.00	42.01	1680.29	756.13	22
21	गर्दा	8.60	13.60	7.51	7.40	37.11	1484.53	668.04	23
22	मोहास	2.50	2.50	3.70	3.40	12.10	484.00	217.80	28
23	मुंवारा (भुवारा)	0.00	1.25	2.10	2.00	5.35	214.00	96.30	28
24	कमोदी (करोंदी)	0.30	0.00	0.00	1.36	1.66	66.40	29.88	28
25	कमोद	11.95	6.10	10.15	6.20	34.40	1376.00	619.20	28
26	पड़रिया (मुर्दी)	7.66	3.00	6.01	0.00	16.67	666.80	300.06	28
27	बगलई (तिधारा)	0.15	15.60	18.47	2.10	36.32	1452.80	653.76	28
28	राखी	0.90	5.10	12.10	4.20	22.30	892.00	401.40	28
29	रहेली (गोटेगांव)	1.50	1.50	1.70	0.40	5.10	204.00	91.80	28
30	पड़रिया	2.40	12.50	2.10	2.30	19.30	772.00	347.40	29
31	कांचर (कला)	0.10	0.50	10.30	0.56	11.46	458.40	206.28	27
32	ऑखीवाड़ा	5.15	10.00	10.60	11.60	37.35	1494.00	672.30	30
33	जमुनीया	0.50	4.10	7.40	6.20	18.20	728.00	327.60	30
34	बगलई (पचौरी)	1.50	0.00	0.00	1.50	3.00	120.00	54.00	30
35	अतरिया	12.30	6.40	17.00	2.20	37.90	1516.00	682.20	29

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
36	पोनिया (गोटेगांव)	22.02	10.02	11.00	4.00	47.04	1881.60	846.72	27
37	खोवी (गोटेगांव)	8.20	14.90	40.20	6.10	69.40	2776.00	1249.20	30
38	चरगँवा	7.60	8.00	5.50	5.20	26.30	1052.00	473.40	30
39	भैसा	5.21	5.50	11.07	7.10	28.88	1155.06	519.78	30
40	बढैयाखेड़ा (परसबाड़ा).	28.74	25.24	20.58	8.20	82.76	3310.44	1489.70	30
41	परसबाड़ा	5.01	6.48	0.00	3.00	14.49	579.52	260.79	30
42	कोडिया	2.25	6.30	5.40	0.00	13.95	558.00	251.10	30
43	हिङ्की	3.20	4.10	3.00	1.00	11.30	452.00	203.40	30
44	छिनौरी	4.50	0.00	3.70	2.40	10.60	424.00	190.80	27
45	पिपरिया (चौधरी)	7.53	3.60	5.20	2.90	19.23	769.21	346.15	29
46	मुरदई (मुर्दई)	0.90	1.00	2.10	2.10	6.10	244.00	109.80	28
47	मुड़ीया	3.38	0.00	1.60	1.00	5.98	239.06	107.58	21
48	मर्वई	9.58	0.00	1.60	1.20	12.38	495.16	222.82	30
49	बगतेला	0.80	3.50	2.10	2.01	8.41	336.40	151.38	24
50	तिघरा (अतरिया)	4.10	2.00	0.10	2.10	8.30	332.00	149.40	30
51	सहजपुरा	1.60	6.30	5.20	3.20	16.30	652.00	293.40	30
52	बेरली	3.60	3.20	8.60	2.10	17.50	699.97	314.99	32
53	बरोदा	1.20	1.00	1.10	0.80	4.10	164.00	73.80	29
54	खैरी (खीरी)	1.90	0.40	1.07	0.50	3.87	154.80	69.66	32
55	कुशीवाड़ा	1.04	3.06	3.05	3.00	10.15	406.00	182.70	20
56	सिमरिया (बगलईपचौरी)	4.85	0.40	7.00	5.00	17.25	690.00	310.50	31
57	देवरीकला	3.75	5.10	5.70	3.20	17.75	710.00	319.50	32
58	पिपरीया (अटकारी)	0.10	1.30	1.40	0.40	3.20	128.00	57.60	28
59	नरली	0.20	0.50	0.00	1.30	2.00	80.00	36.00	32
60	देवरी (रिमझा)	0.25	2.30	3.10	4.20	9.85	394.00	177.30	33
61	कमती (कमती)	3.60	0.80	2.50	1.80	8.70	348.00	156.60	30
62	राका (रोता)	0.25	5.30	1.09	1.30	7.94	317.60	142.92	28
63	तिरका	3.80	3.50	3.90	3.20	14.40	576.00	259.20	34
64	सनजी	0.10	11.20	0.80	0.50	12.60	504.00	226.80	34
65	लम्हेटी	0.20	0.10	0.60	0.60	1.50	60.00	27.00	34
66	रिमझा (देवरी)	5.46	6.40	17.22	6.10	35.18	1407.20	633.24	35
67	सिमरी बड़ी	0.15	6.30	11.05	5.20	22.70	908.00	408.60	35
68	कमती (पिडरई)	7.10	9.20	17.20	4.10	37.60	1504.00	676.80	35
69	मेहका गाड़ाघाट	0.19	8.50	8.99	3.40	21.08	843.20	379.44	29
70	बहरोरा	5.47	2.80	4.01	3.10	15.38	615.02	276.76	35
71	पिपरिया (मनकवारा).	7.94	12.10	14.09	3.20	37.33	1493.01	671.85	35
72	देवगुंवा (पिपरिया)	11.57	4.10	12.66	5.20	33.53	1341.20	603.54	32
73	सहोजनी	0.80	0.00	0.80	0.50	2.10	84.00	37.80	35
74	चरगुंवा (दपकिया)	7.50	5.00	11.25	3.10	26.85	1074.00	483.30	33
75	सर्दा	4.11	0.66	4.02	1.50	10.29	411.60	185.22	34
76	सिमरी	3.67	1.50	9.11	0.60	14.88	595.20	267.84	36
77	पिपरसरा	0.70	1.01	0.00	0.88	2.59	103.60	46.62	36

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
78	खेरूवा	0.80	0.30	0.60	0.50	2.20	88.00	39.60	36
79	हिनोता	0.00	0.55	0.22	0.80	1.57	62.80	28.26	36
80	घुघुरी	0.00	0.61	1.88	0.99	3.48	139.20	62.64	36
81	पिपरिया(बाजारशुक्र)	0.99	8.25	12.66	6.10	28.00	1120.00	504.00	36
82	भडंगी	11.15	10.66	26.01	4.20	52.02	2080.80	936.36	26
83	दपकिया	4.00	6.50	11.20	3.10	24.80	992.00	446.40	29
84	मेंगगवा	3.22	0.55	0.69	5.10	9.56	382.51	172.13	37
85	लालई	0.50	0.33	1.22	0.55	2.60	104.00	46.80	37
86	जामुनपानी	0.00	0.22	0.13	1.30	1.65	65.80	29.61	37
87	शुकरी	0.60	0.44	0.37	0.90	2.31	92.24	41.51	37
88	देतरी	0.00	1.25	0.37	2.00	3.62	144.60	65.07	37
89	पिपलिया (कोहला)	0.35	1.36	0.99	9.00	11.70	468.00	210.60	37
90	टैगोरा	0.20	5.22	1.66	0.10	7.18	287.20	129.24	37
91	डुंगरिया (डुमरियां)	25.34	0.69	7.55	5.66	39.24	1569.60	706.32	37
92	बड़खेड़ा (चरगेवा)	0.40	2.44	1.33	0.50	4.67	186.80	84.06	40
93	नरवारा	2.22	0.22	9.99	9.11	21.54	861.60	387.72	27
94	कामती	20.57	1.22	15.80	3.40	40.99	1639.60	737.82	38
95	लाटगांव	4.42	15.32	6.10	3.60	29.44	1177.64	529.94	35
96	कुड़ा	0.10	0.00	0.20	0.99	1.29	51.60	23.22	38
97	औरिया	0.00	10.30	4.22	1.60	16.12	644.80	290.16	38
98	कोरेगांव	0.20	0.40	3.36	0.20	4.16	166.40	74.88	38
99	अंडिया	0.00	0.50	0.40	0.10	1.00	40.00	18.00	38
100	घुघरा	0.10	0.20	0.40	0.66	1.36	54.40	24.48	38
101	अनंतपुर	0.15	0.30	0.00	0.10	0.55	22.00	9.90	30
102	पिपरिया (पथरिया)	0.18	0.20	0.40	1.20	1.98	79.20	35.64	39
103	यामनगर	0.00	0.30	0.55	0.60	1.45	58.00	26.10	39
104	दौन	0.15	0.55	5.60	0.30	6.60	264.00	118.80	39
105	बमलई (ललपुर)	12.04	0.36	0.80	0.60	13.80	552.02	248.41	39
106	उमरिया	14.21	8.00	37.30	10.00	69.51	2780.40	1251.18	39
107	दान (दामिनी) खरिया	0.55	0.36	0.30	0.66	1.87	74.76	33.64	39
108	तरवारा	1.33	1.66	0.36	4.66	8.01	320.40	144.18	30
109	शकरी	0.30	3.60	0.55	0.55	5.00	200.00	90.00	40
110	चिंदवाड़ा	1.20	5.30	5.00	0.33	11.83	473.20	212.94	27
111	भंडी (मंडी)	0.30	0.00	0.66	0.66	1.62	64.80	29.16	40
112	मनकवारा	5.36	2.66	35.40	0.99	44.41	1776.40	799.38	31
113	बन्डोल	3.99	5.99	10.22	3.66	23.86	954.40	429.48	21
114	लम्हेटा	1.60	4.20	0.00	10.30	16.10	644.00	289.80	34
115	मेहका	0.50	1.50	2.55	0.00	4.55	182.00	81.90	35
116	हिनोता	1.60	3.33	2.11	4.33	11.37	454.80	204.66	36
117	बेरेली	0.96	10.30	0.00	2.55	13.81	552.40	248.58	30
118	द्विघारी	9.00	1.00	18.10	0.00	28.10	1124.00	505.80	30
119	बम्हनौदा	14.25	0.60	3.66	4.90	23.41	936.40	421.38	30
120	बेलखेड़ी (टिकरी)	12.25	13.25	21.05	2.11	48.66	1946.40	875.88	30
121	गोहचर	4.14	2.30	7.01	5.40	18.85	754.00	339.30	28
122	पिडरई	8.26	11.50	11.55	8.88	40.19	1607.60	723.42	29
		570.77	598.55	886.55	402.78	2458.65	98346	44256	

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, खरगोन मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 10 जनवरी 2017

क्र. 306-सा.ले.-2017.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (घ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रस्तावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक अपांतरण करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तरीख से,—

1. उस थाने से जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं अपवर्जित करती, और
2. नवीन पुलिस थाना बेड़िया, थाना सनावद जो कि जिला खरगोन की तहसील सनावद में है थाना बेड़िया घोषित करती है और यह निर्देश देती है कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम नं. (3) विनिर्दिष्ट किये गये हैं, स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे:—

सारणी

सं. क्र.	उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया है	स्थानीय क्षेत्रों के नाम
(1)	(2)	(3)
1	थाना सनावद तहसील सनावद जिला खरगोन	1. बेड़िया 2. कानापुर 3. अम्बा 4. मर्दीना 5. लोंदी 6. जिरभार 7. प्रितनगर 8. मोगांवा 9. रावेर 10. भुलगांव 11. बाल्या 12. कातोरा 13. भोगदंड 14. काकरिया 15. डालची 16. ढुडगांव 17. बडगांव 18. बकांवा 19. बागदाबुजुर्ग 20. भेगांवनिपानी 21. भोगावासिपानी 22. राहटकोट 23. डाल्याखेडी 24. चितावद 25. टाकली 26. फनगांव 27. नलवट

(1)	(2)	(3)
28.	तमोलिया	
29.	दाबड	
30.	मेहगांव	
31.	खुजरातखेडा	
32.	जामन्याखेडा	
33.	आरसी	
34.	गोराडिया	
35.	जामन्या	
36.	नीलकण्ठ	
37.	बालाबाद	
38.	सेलदा	
39.	बगदाखुर्द	
40.	बिजगोन	
41.	खेडी	
42.	सांगवी	
43.	लाछोरा	
44.	बलखड़	
45.	पिपलीखेडा	
46.	अंतरसुम्बा	
47.	जुलवानियां	
48.	नगावा	
49.	पाछला	
50.	मरदलिया	
51.	डेहरिया	

No. 307-S.W.-2017.—In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and in partial modification of the previous notification affecting the local areas specified in the table below, The State Government, hereby, with effect from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh, Gazette":—

- (i) Exclude Local areas from the Police Station mentioned in column (2) of the table below, the local areas specified in the column (3) thereof, and
- (ii) Declares New Police Station Bediya in the Police Station Sanawad Tehsil Sanawad Distt. Khargone and further directs that it shall include the local areas specified in column (3) of the said table:—

TABLE

S. No.	Name of Police Station (with Tehsil and Distt.) from which excluded	LOCAL AREAS Name of Village
(1)	(2)	(3)
1.	Thana Sanawad Tehsil Sanawad Distt. Khargone	1. Bediya 2. Kanapur 3. Amba

(1)

(2)

(3)

- | | |
|-----|---------------|
| 4. | Mardana |
| 5. | Lodi |
| 6. | Jirbhar |
| 7. | Pitnagar |
| 8. | Mogava |
| 9. | Raver |
| 10. | Bhulgaon |
| 11. | Balya |
| 12. | Katora |
| 13. | Bhogdad |
| 14. | Kakriya |
| 15. | Dalchi |
| 16. | Dudgaon |
| 17. | Badgaon |
| 18. | Bakava |
| 19. | Bagdabujurg |
| 20. | Bhogavanipani |
| 21. | Bhogavasipani |
| 22. | Rahatkot |
| 23. | Dalyakhedi |
| 24. | Chitavad |
| 25. | Taakli |
| 26. | Fangaon |
| 27. | Nalwat |
| 28. | Tamoliya |
| 29. | Dabad |
| 30. | Mehgaon |
| 31. | Khujratkheda |
| 32. | Jamnyakheda |
| 33. | Aarsi |
| 34. | Goradiya |
| 35. | Jamnya |
| 36. | Nilkanth |
| 37. | Balabad |
| 38. | Selda |
| 39. | Bagdakhurd |
| 40. | Bij Gone |
| 41. | Khedi |
| 42. | Sagvi |
| 43. | Lachhora |
| 44. | Balkhad |
| 45. | Piplikheda |
| 46. | Aatarsumba |
| 47. | Julwaniya |
| 48. | Nagawa |
| 49. | Pachhala |
| 50. | Mardliya |
| 51. | Dehriya |

क्र. 309-सा.ले.-2017.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 1974) की धारा 2 के खण्ड (ब) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रस्तावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक अपांतरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से :—

1. उस थाने से जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं अपवर्जित करती, और
2. नवीन पुलिस चौकी बमनाला थाना भीकनगांव जो कि जिला खरगोन की तहसील भीकनगांव में है पुलिस चौकी बमनाला घोषित करती है, और यह निर्देश देती है कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम नं. (3) विनिर्दिष्ट किये गये हैं, स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे:—

सारणी

स. क्र.	उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया है	स्थानीय क्षेत्रों के नाम
(1)	(2)	(3)
	थाना भीकनगांव तहसील भीकनगांव जिला खरगोन	
1.		बमनाला
2.		सुर्वा
3.		ललनी
4.		पोई
5.		भोपाड़ा
6.		दोदवाड़ा
7.		सोनवाड़ा
8.		सेल्दा
9.		शंकरखेड़ी
10.		कोयड़ाखुर्द
11.		पोखराबाद
12.		सतवाड़ा
13.		मोरदंड
14.		रायदड
15.		बल्फा
16.		कमोदवाड़ा
17.		दगड़खेड़ी
18.		सगुर
19.		भगुर
20.		गवतखेड़ी

No.-308-S.W.-2017.—In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and in partial modification of the previous notification affecting the local Areas specified in the Table below, The State Government, hereby, with effect from the date of publication of this notification in the “Madhya Pradesh, Gazette” :—

- (i) Exclude Local Areas from the police Station mentioned in column(2) of the Table below, the local areas specified in the column (3) thereof, and

- (ii) Declares New Police Chowki Bamnala in the Police Station Bhikangaon Tehsil Bhikangaon Distt. Khargone and further directs that it shall include the local areas specified in column (3) of the said table:—

TABLE

S.No.	Name of police Station (with Tehsil and Distt.) from which excluded	LOCAL AREAS Name of Villages
(1)	(2)	(3)
	Thana Bhikangaon, Tehsil Bhikangaon, Distt. Khargone.	1. Bamnala 2. Surwa 3. Lalni 4. Poie 5. Bhopada 6. Dondwada 7. Sonwada 8. Selda 9. Shakarkhedi 10. Koyadakhurdd 11. Pokharabad 12. Satwada 13. Mordad 14. Roydar 15. Valfa 16. Kamodwada 17. Dagadkhedi 18. Sagur 19. Bhagur 20. Gawatkhedhi

क्र. 305-सा.ले.-2017.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 1974) की धारा 2 के खण्ड (घ) में प्रदत्त शब्दियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रस्तावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक अपांतरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से,—

- उस थाने से जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं अपवर्जित करती, और
- नवीन पुलिस थाना बिस्टान, थाना भगवानपुरा जो कि जिला खरगोन की तहसील गोगांवा/भगवानपुरा में है पुलिस थाना बिस्टान घोषित करती है और यह निर्देश देती है कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम नं. (3) विनिर्दिष्ट किये गये हैं, स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे:—

सारणी

स. क्र.	उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया है	स्थानीय क्षेत्रों के नाम
(2)	(3)	
	थाना भगवानपुरा तहसील गोगांवा/भगवानपुरा जिला खरगोन	1. बिस्टान 2. बन्हेर 3. जगन्नाथपुरा

(1)

(2)

(3)

4. बामनपुरी/न्यामतपुरा
5. पेनपुर
6. पिपरखेडा
7. शबासपुरा
8. मांडवखेडा
9. अनकवाडी
10. घटटी
11. बन्हुर
12. महूंमाडली
13. बलगांव
14. आवली
15. कदवाली
16. गोपालपुरा
17. मोघन
18. आगरबाई
19. छटलगांव
20. भातुड
21. करियापुरा
22. यशवतंगढ
23. राजपुरा
24. चंदावड
25. मेहर घटटी
26. कंसारपुरा
27. सामरपाट
28. गारी
29. सेजला
30. बोरखेडा
31. बलखडखुर्द
32. मोहनपुरा
33. पीपरीपाला
34. बाडी
35. झागडी
36. बलखड बुजुर्ग
37. देवझिरी
38. गलतार
39. देवला
40. मेहत्याखेडी
41. हीरापुर
42. जामन्यापानी
43. तामखेडा
44. वासली

(1)

(2)

(3)

45.	जुनापानी
46.	लालपुरा
47.	खारवा
48.	गढ़ी
49.	मोगरगांव
50.	दाउदखेडी
51.	अंजनगांव
52.	रसांगली
53.	ढाबला
54.	गुलझेरा
55.	ममदिया
56.	मरेल
57.	खेरकुंडी
58.	मोहना
59.	नांगघटटी
60.	डोल

No. 304-S.W.-2017.—In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and in partial modification of the previous notification affecting the local areas specified in the table below, The State Government, hereby, with effect from the date of publication of this notification in the “Madhya Pradesh, Gazette” :—

- (i) Exclude Local Areas from the Police Station mentioned in column (2) of the table below, the local areas specified in the column (3) thereof, and
- (ii) Declares New Police Station Bistan in the Police Station Bhagwanpura Tehsil Gogawa/Bhagwanpura Distt. Khargone and further directs that it shall include the local areas specified in column (3) of the said table:—

TABLE

S. No.	Name of Police Station (with Tehsil and Distt.) from which excluded	LOCAL AREAS Name of Village
(1)	(2)	(3)
	Thana Bhagwanpura Tehsil Gogawa/Bhagwanpura Distt. Khargone	1. Bistan 2. Banher 3. Jagannathpura 4. Bamanpuri/Nyamatpura 5. Penpur 6. Piparkheda 7. Sabaspura 8. Mandawkheda 9. Anakwadi 10. Ghatti 11. Banhur 12. Mahumandli

(1)	(2)	(3)
		13. Balgaon
		14. Aawali
		15. Kadwali
		16. Gopalpura
		17. Moghan
		18. Aagarbai
		19. Chhatalgaon
		20. Bhatud
		21. Kariyapura
		22. Yashwantgarh
		23. Rajpura
		24. Chandrawad
		25. Mehar Ghatti
		26. Kasarpura
		27. Samarpat
		28. Gari
		29. Sejala
		30. Borkheda
		31. Balkhad khurd
		32. Mohanpura
		33. Piparipala
		34. Badi
		35. Jhagadi
		36. Balkhad Bujurg
		37. Devjhiri
		38. Galtad
		39. Devala
		40. Mehtakhedi
		41. Hirapur
		42. Jamanyapani
		43. Damkheda
		44. Wasali
		45. Junapani
		46. Lalpura
		47. Kharwa
		48. Gadi
		49. Mogargaon
		50. Daudkhedi
		51. Anjangaon
		52. Rasgangali
		53. Dabla
		54. Guljhara
		55. Mamdiya
		56. Marel
		57. Kherkundi
		58. Mohana
		59. Nagghatti
		60. Dol

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार वर्मा, कलेक्टर/उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2017

क्र. एफ 15-9-2016-सात-शा.6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित गांवों के लिए, उसके कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार-अभिलेख तैयार किया जाएः—

अनुसूची

तहसील: बजाग

जिला : डिंडोरी

क्र.	पटवारी हलका क्रमांक संहित गांवों के नाम	अधिकार—अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	01. मूल ग्राम सेनगुडा 02. नवीन ग्राम अमीनपुर प.ह.नं. 225.	अधीक्षक, भू—अभिलेख, (नियमित) जिला—डिंडोरी
2	01. मूल ग्राम रैतवार रैयत 02. नवीन ग्राम डोंगरी टोला प.ह.नं. 236.	
3	01. मूल ग्राम मगर मय टगर 02. नवीन ग्राम पिपरहा टोला प.ह.नं. 06	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण मिश्रा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2017

क्र. एफ- 53-15-9-2016-सात-शा.-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-9-2016-सात-शा.-6, दिनांक 12 जनवरी 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण मिश्रा, उपसचिव.

Bhopal, the 12th January 2017

No. F-15-09-2016-VII-Sec.-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3) thereof:—

SCHEDULE

District : Dindori

Tehsil : Bajag

Serial No.	Name of village (s) with P.C. No.	Designation of the officer authorised to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1	01. Original Village-Senguda 02. New Village-Ameenpur P.C. No. 225.	Superintendent of Land Records (regular) District Dindori.
2	01. Original Village-Raitvar ray. 02. New Village-Dongari tola P.C. No. 236	
3	01. Original Village-Mager may tager 02. New Village-Piparaha tola P.C. No. 06	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KIRAN MISHRA, Dy. Secy.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 2 सितम्बर 2016

क्र. 431-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रक्का (हेक्टर में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, सतना.	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	मेहुती (महुला)	0.167	जिला सतना (म. प्र.)	कोटर मेहुती मझगांव मार्ग हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है।

सतना, दिनांक 5 दिसम्बर 2016

क्र. 645-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रक्का (हेक्टर में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, सतना.	(6)
सतना	रघुराजनगर	मॉद	1.446	मांद बस्ती मल्लाहन टोला हनुमान मंदिर पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है।

सतना, दिनांक 20 दिसम्बर 2016

क्र. 660-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1) 2014-सात-शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जीनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	जैतवारा	0.048	वरि. मण्डल, अभियंता (उत्तर) जबलपुर मण्डल (म. प्र.).	सतना मानिकपुर रेलखण्ड के समपार क्र. 394 के बदले अंडर पुल निर्माण कार्य के एप्रोज रोड का निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गोहद, दिनांक 8 दिसम्बर 2016

क्र. 04-अ-82-15-16-भू-अर्जन-2576.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सुजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है परियोजना की मुख्य नहर/माइनर नहर/सब-माइनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकाश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

संपत्ति का विवरण				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टर में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भिण्ड	गोहद	रामपुरा	सर्वे क्रमांक 550 में से रकबा 0.015	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर की संभाग क्रमांक-2, डबरा जिला शीतला माता शाखा नहर की गवालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की 5-एल माइनर के निर्माण हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोहद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भिण्ड, दिनांक 19 दिसम्बर 2016

प्र. क्र. 04-अ-82-15-16-भू-अर्जन-2020-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्तिदृष्टि भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

संपत्ति का विवरण				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टर में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भिण्ड	रौन	बनगढ़	84-036 86-0.11 87-0.18 99-0.16 100-0.02 119-0.01 121-0.02 122-0.10 123-0.06 124-0.05 128-0.05 141-0.04 220-0.02 408-0.01 409-0.04 418-0.06	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. निर्माण संभाग भिण्ड।	जखमौली से राठौरन मार्ग के निर्माण हेतु।
			16 1.29		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लहार के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इलैया राजा टी. कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 20 दिसम्बर 2016

पत्र क्र. 2724-प्रशा.-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत

करता हूं. चूंकि सराय माइनर का निर्माण कार्य कराया जाना है, इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 की उपधारा 2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
सतना	रामपुर	चकदेही		1.851	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्रमांक-2, सतना.	सराय माइनर नहर निर्माण में नवीन रक्कड़ी की भूमि अर्जन हेतु.
	बघेलान.					

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 3 जनवरी 2017

प. क्र. 29-प्रश्ना.—भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक्रिया और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती मुख्य नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
रीवा	गुड़	शिवपुरवा-601		0.250	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, म. प्र.	बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.

प. क्र. 31-प्रश्ना.—भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक्रिया और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्द्रेह माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
रीवा	मनगावा	कोलहा-108		2.500	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, म. प्र.	बहुती नहर के चन्द्रेह माइनर एवं सब-माइनर नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 33-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के चन्द्रेह माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) रीवा	(2) मनगढ़ा	(3) कोलगढ़-109	(4) 2.500	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, म. प्र.	(6) बहुती नहर के चन्द्रेह माइनर एवं सबमाइनर नहर निर्माण हेतु

प. क्र. 37-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के रहतरा वितरक के माइनर एवं सब माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) रीवा	(2) गुढ़	(3) खाप्हा-129	(4) 2.600	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, म. प्र.	(6) बहुती नहर के रहतरा वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु

प. क्र. 39-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के रहतरा वितरक के माइनर एवं सब माइनर एवं सब माइनर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) रीवा	(2) गुढ़	(3) खड़ी-117	(4) 2.500	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, म. प्र.	(6) बहुती नहर के रहतरा वितरक के माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु

प. क्र. 41-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माझनर एवं सब-माझनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(4)		
सतना	अमरपाटन	शाह	5.500		कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, म. प्र.	बहुती नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु

प. क्र. 43-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माझनर एवं सब-माझनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(4)		
सतना	अमरपाटन	धतुवा	3.500		कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग जिला रीवा, म. प्र.	बहुती नहर के बेला वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव,

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 3 दिसम्बर 2016

क्र.-भू-अर्जन-50(अ-82)2016-17-1345.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्वर्वस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
- (ख) तहसील—शहपुरा
- (ग) ग्राम—बांकी
- (घ) लागभग क्षेत्रफल—2.560 हेक्टेयर रा. नि. म. शहपुरा.

प. ह. नं. 42

खसरा नं. भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकमा
(हेक्टर में)

(1)	(2)	
300	0.15	360/5
301	0.01	960/4
302	0.02	951
311	0.02	952
312	0.02	962
313	0.05	963
314	0.03	972
316	0.10	973/2
807/1	0.02	973/1
806	0.03	973/3
809/1	0.03	999/1
809/2	0.02	999/2
810/1	0.01	999/3
811	0.05	निजी भूमि— .. 2.350
812	0.03	शासकीय भूमि .. 0.210
815/1	0.03	कुल योग .. 2.560
816	0.05	
905/1	0.03	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-51(अ-82)2016-17-1341.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
- (ख) तहसील—शहपुरा
- (ग) ग्राम—संग्रामपुर माल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.500 हेक्टेयर रा. नि. म. शहपुरा.

प. ह. नं. 15

खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)
(1)	(2)
323	0.08
324	0.01
351	0.03
325	0.010
320/2	0.02
320/1	0.02
326/2	0.01
327	0.03
328	0.01
329/1	0.01
358	0.05
355	0.02
354	0.05
349	0.02
348	0.04
350	0.03
343	0.04
329/2	0.01
योग ..	0.490
शासकीय भूमि ..	0.010
कुल योग ..	<u>0.500</u>

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-52(अ-82)2016-17-1332.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
- (ख) तहसील—शहपुरा
- (ग) ग्राम—कंचनपुर माल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.760 हेक्टेयर रा. नि. म. शहपुरा.

प. ह. नं. 62

खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)
(1)	(2)
35	0.05
34	0.06
33	0.11
32	0.05
31/1	0.02
30	0.16
61	0.04
29	0.10
62	0.04
64/1	0.01
90	0.03
93	0.02
63/2	0.03
28	0.06
64/2	0.01
64/3	0.01
65	0.15
91	0.04
264	0.05
66	0.01
72	0.09
79	0.10
253/2	0.08

(1)	(2)
130	0.02
80/1	0.02
80/2	0.02
80/3	0.02
80/4	0.01
86/1/2	0.02
127/3	0.02
81/1	0.02
81/2	0.02
35	0.05
81/3	0.02
89	0.03
92	0.02
162	0.04
177	0.14
129	0.06
131	0.10
132	0.07
127/2	0.02
127/1	0.01
127/1	0.02
133	0.07
134	0.08
163	0.07
161	0.01
137	0.07
135	0.02
136	0.07
138	0.06
265	0.05
124	0.01
122	0.06
253/1	0.03
253/3	0.03
253/4	0.03
निजी भूमि— ..	<u>2.720</u>
शासकीय भूमि ..	<u>0.040</u>
कुल योग ..	<u>2.760</u>

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-53(अ-82)2016-17-1340.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
- (ख) तहसील—शहपुरा
- (ग) ग्राम—चांटी माल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.840 हेक्टेयर रा. नि. म. शहपुरा.

प. ह. नं. 61

खसरा नं. भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रक्वा
(हेक्टर में)

(1)	(2)
330	0.22
329/2	0.03
329/1	0.20
328	0.09
327	0.02
326	0.07
320	0.03
319	0.11
324	0.02
318	0.05

निजी भूमि— .. 0.840

शासकीय भूमि .. 0.000

कुल योग .. 0.840

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-54(अ-82)2016-17-1343.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित

प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
- (ख) तहसील—शहपुरा
- (ग) ग्राम—कारीगढ़हरी रैयत
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.970 हेक्टेयर रा. नि. म. शहपुरा.

प. ह. नं. 61

खसरा नं. भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)

(1)	(2)
65	0.16
59	0.32
50	0.16
49	0.10
32	0.12
53	0.06
54	0.02
निजी भूमि— . . .	
शासकीय भूमि . . .	0.940
कुल योग . . .	
0.030	
0.970	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र.—भू-अर्जन-55 (अ-82)2016-17-1347.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
- (ख) तहसील—शहपुरा
- (ग) ग्राम—सूरजपुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.890 हेक्टेयर रा. नि. म. शहपुरा.

प. ह. नं. 18

खसरा नं. भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)

(1)	(2)
114	0.05
154	0.03
115	0.10
116	0.060
106	0.04
107	0.04
103/1	0.02
103/2	0.01
103/3	0.01
104	0.06
136	0.08
135	0.01
138	0.06
157	0.27
निजी भूमि— . . .	
शासकीय भूमि . . .	
कुल योग . . .	
0.840	
0.050	
0.890	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र.—भू-अर्जन-56 (अ-82)2016-17-1337.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
- (ख) तहसील—शहपुरा
- (ग) ग्राम—संग्रामपुर रैयत
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.550 हेक्टेयर रा. नि. म. शहपुरा,

प. ह. नं. 15

खसरा नं. भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)

(1)	(2)
123/1	0.09
98	0.01

(1)	(2)
96	0.02
99/1	0.010
97	0.05
94/1	0.03
94/2	0.03
28	0.01
29/1	0.08
27	0.04
21	0.09
17	0.07
योग— . .	0.530
शासकीय भूमि . .	0.020
कुल योग . .	0.550

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिप्लौरी में देखा जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-58 (अ-82)2016-17-1339.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिप्लौरी
- (ख) तहसील—शहपुरा
- (ग) ग्राम—चांटी माल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.720 हेक्टेयर रा. नि. म. शहपुरा,
प. ह. नं. 61

खसरा नं. भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा
(हेक्टर में)

(1)	(2)
329/1	0.02
329/2	0.01
342/3	0.05
332/2	0.02
343/1	0.12
342/2	0.12

(1)	(2)
356	0.27
360	0.62
योग— . .	1.680
शासकीय भूमि . .	0.040
कुल योग . .	1.720

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिप्लौरी में देखा जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-59 (अ-82)2016-17-1346.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिप्लौरी
- (ख) तहसील—शहपुरा
- (ग) ग्राम—बांकी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—10.900 हेक्टेयर रा. नि. म. शहपुरा,
प. ह. नं. 42

खसरा नं.

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा

(हेक्टर में)

(1)	(2)
397	0.03
395	0.01
392/2, 394/2	0.10
392/3, 394/3	0.15
392/1, 294/1	0.15
382	0.08
379	0.14
377/1	0.06
377/2	0.07
376	0.02
373/1	0.20
373/2	0.12
372	0.27
342	0.02
340/2	0.02

(1)	(2)	(1)	(2)
339	0.06	1066/1	0.08
329	0.12	1198/1	0.28
1146	0.18	1066/2	0.09
328	0.03	1148/2	0.28
288	0.10	1077	0.64
292	0.20	1082	0.06
296	0.13	1088	0.18
300	0.10	1089	0.21
297	0.14	1087	0.05
203	0.02	1145	0.30
202	0.52	1147	0.20
183/1	0.21	1149	0.06
183/4	0.06	1166	0.18
183/2	0.13	252	0.01
183/3	0.03	1164	0.20
184	0.21	383/1	0.01
159	0.03	निजी भूमि— .. 10.240	
160	0.02	शासकीय भूमि .. 0.660	
157	0.04	कुल योग .. 10.900	
155	0.14		
158	0.25		
858	0.13		
154	0.32		
845	0.05		
846	0.08		
847	0.05		
848	0.04		
150	0.05		
849/1	0.06		
135/1, 860/1	0.08		
134	0.10		
133	0.23		
132/1	0.08		
132/2	0.22		
122	0.04		
119	0.38		
1029/1	0.20		
1030	0.04		
1053	0.26		
1058	0.09		
1059	0.08		
1061	0.39		
1064	0.17		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिपंडौरी में देखा जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-60 (अ-82)2016-17-1333.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में डल्लोखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है। इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिपंडौरी

(ख) तहसील—शहपुरा

(ग) ग्राम—कंचनपुर रैयत

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.380 हेक्टेयर रा. नि. म. शहपुरा,
प. ह. नं. 62

खसरा नं.

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा
(हेक्टर में)

(1)

(2)

(1)	(2)	(1)	(2)
88	0.07	123/1	0.03
85/1	0.24	124	0.04
77/1	0.26	126	0.08
74	0.28	128	0.07
71	0.22	129	0.05
निजी भूमि— . .	1.140	234	0.11
शासकीय भूमि . .	0.240	237	0.10
कुल योग . .	1.380	235	0.06
		241	0.06
		240/1	0.03
		240/2	0.03
		239	0.29
		341	0.07
		342	0.03
		निजी भूमि— . .	1.460
		शासकीय भूमि . .	0.050
		कुल योग . .	1.510

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिप्लॉरी में देखा जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-61 (अ-82)2016-17-1336.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिप्लॉरी
- (ख) तहसील—शहपुरा
- (ग) ग्राम—झूड़ीसरई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.510 हेक्टेयर रा. नि. म. शहपुरा,
प. ह. नं. 62

खसरा नं. भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा
(हेक्टर में)

(1)	(2)
74	0.07
131/1	0.01
131/2	0.01
131/3	0.01
131/4	0.01
118	0.04
119	0.04
121	0.05
120	0.04
122	0.06
232	0.04
123/2	0.03

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिप्लॉरी में देखा जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-62 (अ-82)2016-17-1334.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिप्लॉरी
- (ख) तहसील—शहपुरा
- (ग) ग्राम—कारीगढ़हरी माल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.950 हेक्टेयर रा. नि. म. शहपुरा,
प. ह. नं. 61

खसरा नं. भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा
(हेक्टर में)

(1)	(2)
243	0.05
282	0.08
265	0.02

(1)	(2)
266	0.04
267	0.03
268/1	0.04
268/2	0.04
259	0.05
257	0.05
244	0.01
229	0.03
452/1	0.03
456/1	0.02
452/2	0.03
452/3	0.02
456/2	0.02
452/4	0.02
456/3	0.02
452/5	0.02
456/4	0.02
452/6	0.02
456/5	0.02
452/7	0.02
456/6	0.02
458/1	0.01
458/2	0.01
458/3	0.01
458/4	0.01
460	0.03
461	0.08
448/1	0.02
448/2	0.02
448/3	0.02
निजी भूमि— ..	0.930
शासकीय भूमि ..	0.020
कुल योग ..	0.950

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-63 (अ-82)2016-17-1344.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है। इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजनासार की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के

अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
- (ख) तहसील—शहपुरा
- (ग) ग्राम—कंचनपुर माल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.420 हेक्टेयर रा. नि. म. शहपुरा, प. ह. नं. 62

खसरा नं.

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा
(हेक्टर में)

(1)	(2)
33	0.13
22	0.22
.21	0.08
18	0.05
19	0.07
17	0.04
16	0.07
6	0.11
7	0.17
4	0.11
3	0.11
1/1	0.13
1/2	0.07

निजी भूमि— .. 1.360

शासकीय भूमि .. 0.060

कुल योग .. 1.420

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-64 (अ-82)2016-17-1335.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है। इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजनासार की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
- (ख) तहसील—शहपुरा

(ग) ग्राम—कारीगड़हरी माल

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.270 हेक्टेयर रा. नि. म. शहपुरा,
प. ह. नं. 61खसरा नं. भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा
(हेक्टर में)

(1) (2)

276/1 0.06

276/2 0.07

276/3 0.06

276/4 0.07

276/5 0.07

282 0.40

283 0.04

409 0.06

285 0.23

286 0.03

291/1 0.04

291/2 0.04

291/3 0.04

291/4 0.01

292 0.12

294 0.15

295 0.09

311 0.28

313 0.02

314 0.15

315 0.05

316/1 0.03

425 0.16

428 0.10

413 0.13

410 0.19

408 0.16

406 0.17

400 0.06

426 0.02

निजी भूमि— . . 3.100

शासकीय भूमि . . 0.170

कुल योग . . 3.270

क्र.-भू-अर्जन-65 (अ-82)2016-17-1342.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजनासार की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—शहपुरा

(ग) ग्राम—झूंडीसरई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.700 हेक्टेयर रा. नि. म. शहपुरा,
प. ह. नं. 62खसरा नं. भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा
(हेक्टर में)

(1) (2)

19 0.27

20 0.05

31 0.04

32 0.01

48 0.09

30 0.04

37 0.03

92 0.07

54 0.02

55 0.02

47 0.09

56 0.04

91 0.07

57 0.05

70 0.02

73 0.05

71 0.02

74 0.02

69 0.06

68 0.13

78/1/2 0.31

76/2 0.03

66/1 0.08

88 0.02

89 0.28

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय
कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

(1)	(2)	(1)	(2)
282	0.08	278/2	0.08
283	0.08	278/3	0.08
281/1	0.07	216	0.07
294	0.57	232	0.07
292/1	0.02	194	0.13
76/3	0.03	217	0.11
76/1	0.03	218	0.14
292/2	0.15	207	0.06
281/2	0.07	219	0.07
281/3	0.06	226/4	0.04
281/4	0.06	196	0.26
281/5	0.06	197	0.10
281/6	0.06	193	0.02
281/7	0.06	192	0.07
निजी भूमि— . .	3.310	191	0.10
शासकीय भूमि . .	0.390	187	0.37
कुल योग . .	3.700	184/2	0.14
		178	0.02
		177	0.08
		166	0.06
		167	0.18
		168	0.43
		184/1	0.14
		183/2	0.02
निजी भूमि— . .	3.240		
शासकीय भूमि . .	0.560		
कुल योग . .	3.800		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-66 (अ-82) 2016-17-1338.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजनासार की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
- (ख) तहसील—शहपुरा
- (ग) ग्राम—पथरकटा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.800 हेक्टेयर रा. नि. म. शहपुरा,
प. ह. नं. 62

खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)
(1)	(2)
275	0.14
276	0.18
278/1	0.08

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 14 दिसम्बर 2016

पत्र क्र. 2689-प्रशा.—भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—कोटर
- (ग) ग्राम—अबेर कोठार
- (घ) क्षेत्रफल—0.314 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)
अ—निजी पट्टे की भूमि		
1485	0.017	अबेर माइनर नहर के
1484	0.022	निर्माण कार्य हेतु छुटे
1482	0.010	रकबे का भूमि अर्जन हेतु.
1699/5, 1699/6	0.010	
1481/1	0.008	
1477/1	0.001	
993	0.004	
693/1	0.026	
3476/3636	0.069	
3564/1	0.056	
3564/2/1	0.007	
3564/2/2	0.036	
3557	0.012	
1330/2	0.024	
1326	0.004	
1034/1	0.005	
1034/2	0.003	
योग	0.314	
ब—शासकीय भूमि		
योग (अ—ब)	0.314	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा मुख्य नहर के अबेर माइनर नहर के निर्माण आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू—अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 20 दिसम्बर 2016

क्र. 659—भू—अर्जन-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—कोटर
- (ग) नगर/ग्राम—मझियार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.032 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)

3/ख	0.032
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड रीवा के अन्तर्गत सिजहटा-हिनौती-मलगांव-खम्हरिया-अबेर मार्ग निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू—अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 27 दिसम्बर 2016

प्र. क्र. 01—अ-82—भू—अर्जन-2015-16.—भूमि अर्जन, पुर्वासन और पुनर्वासस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना (धारा-11-1) के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि

अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई, तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
- (ख) तहसील—मोहनगढ़
- (ग) नगर/ग्राम—नंदनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.357 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
110/1	0.160	निजी भूमि
109/1	0.082	निजी भूमि
109/2	0.083	निजी भूमि
112/308	0.055	निजी भूमि
95	0.165	निजी भूमि
96	0.040	निजी भूमि
16	0.065	निजी भूमि
94	0.095	निजी भूमि
18	0.035	निजी भूमि
28	0.110	निजी भूमि
41	0.060	निजी भूमि
29	0.030	निजी भूमि
39	0.065	निजी भूमि
38	0.032	निजी भूमि
37	0.020,	निजी भूमि
36	0.030	निजी भूमि
32	0.010	निजी भूमि
31	0.060	निजी भूमि
52	0.060	निजी भूमि
52/295	0.060	निजी भूमि
214	0.040	निजी भूमि
कुल योग . .	1.357	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो नहर परियोजना के निर्माण कार्य हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 01-अ-82-भू-अर्जन-2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना (धारा-11-1) के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई, तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
- (ख) तहसील—मोहनगढ़
- (ग) नगर/ग्राम—दरगांयकला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.105 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
	63	निजी भूमि
	62	निजी भूमि
	60	निजी भूमि
	33	निजी भूमि
	31	पक्का कुआँ
	32	निजी भूमि
	27	निजी भूमि
	29	निजी भूमि
	41	निजी भूमि
	43	निजी भूमि
	45/664	निजी भूमि
	319/667	निजी भूमि
	318	निजी भूमि
	321	निजी भूमि
	310	निजी भूमि
	331	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
309	0.040	निजी भूमि
353	0.075	निजी भूमि
356	0.012	निजी भूमि
374	0.110	निजी भूमि
375/1	0.006	निजी भूमि
376	0.010	निजी भूमि
378	0.025	निजी भूमि
379	0.065	निजी भूमि
380	0.025	निजी भूमि
381	0.002	निजी भूमि
385	0.015	निजी भूमि
355	0.005	निजी भूमि
319	0.005	निजी भूमि
371	0.010	मंदिर भूमि
373	0.185	मंदिर भूमि
372	0.172	मंदिर भूमि
477	0.410	मंदिर भूमि
471	0.040	निजी भूमि
473	0.005	निजी भूमि
474	0.020	निजी भूमि
472	0.022	निजी भूमि
470	0.025	निजी भूमि
478/min-1	0.160	निजी भूमि
478/min-2	0.008	निजी भूमि
478/min-4	0.025	निजी भूमि
478/min-5	0.040	निजी भूमि
540/min-10	0.110	निजी भूमि
540/min-6	0.130	निजी भूमि
540/min-13	0.130	निजी भूमि
540/min-1	0.130	निजी भूमि
540/min-11	0.050	निजी भूमि
541/6	0.395	निजी भूमि
542/3	0.270	निजी भूमि
योग ..	<u>3.105</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो नहर परियोजना के निर्माण कार्य हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 01-अ-82-भू-अर्जन-2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना (धारा-11-1) के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60

दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई, तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—मोहनगढ़

(ग) नगर/ग्राम—पड़वार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1,140 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
683/1	0.310	निजी भूमि
823/3/5	0.040	निजी भूमि
834/1	0.210	निजी भूमि
846/1/ख	0.160	निजी भूमि
847/1	0.020	निजी भूमि
846/1/क	0.400	निजी भूमि
योग ..	<u>1.140</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो नहर परियोजना के निर्माण कार्य हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,